भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

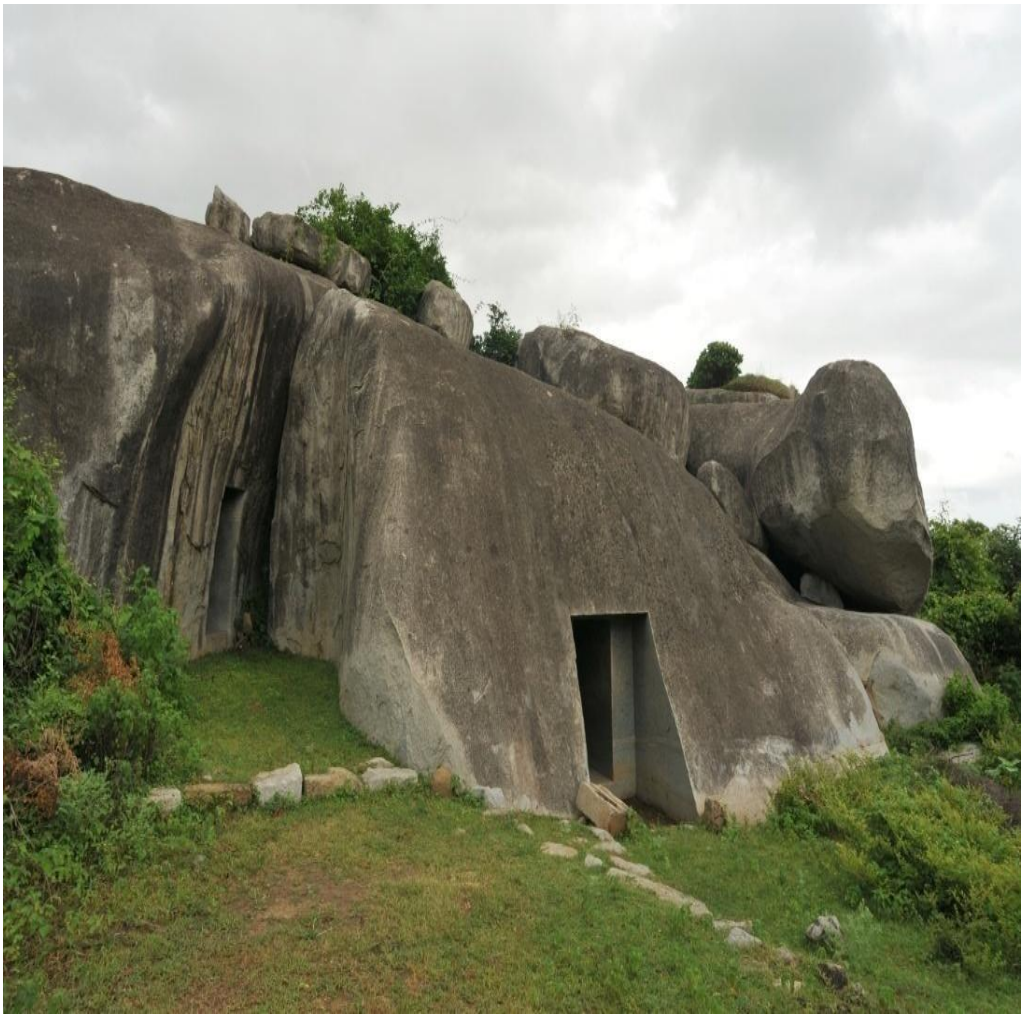

वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Vapiyaka Cave and Vada Thika Cave, Barabar and Nagarjuni hill, Jehanabad, Bihar

वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार के लिए धरोहर उप-विधि

Heritage Bye-Laws for Vapiyaka Cave and Vada Thika Cave, Barabar and Nagarjuni hill, Jehanabad, Bihar

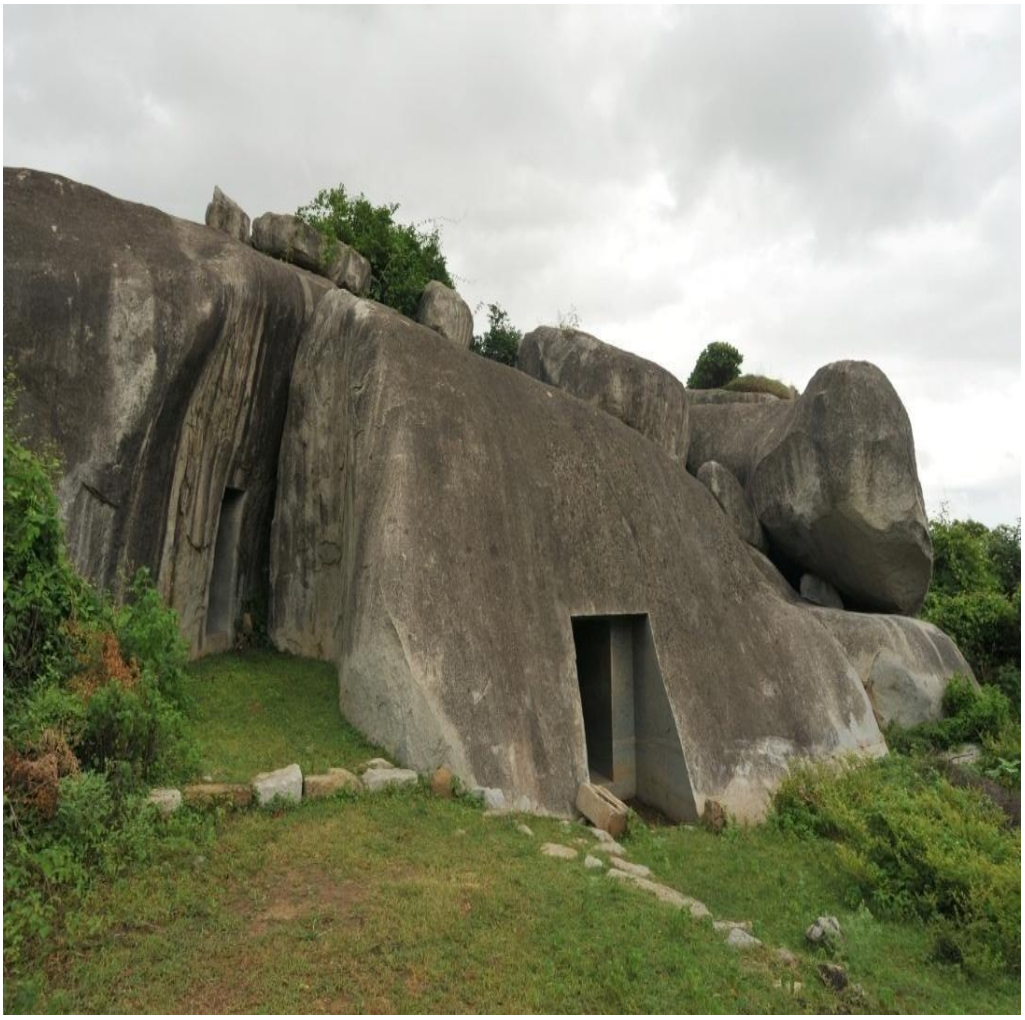

विषय-सूची

अध्याय I **प्रारंभिक**		
1.1	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ	1
1.2	परिभाषाएं	1-3
अध्याय II **प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की पृष्ठभूमि**		
2.1	अधिनियम की पृष्ठभूमि	4
2.2	धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध	4
2.3	आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां	4-5
अध्याय III **केंद्रीय संरक्षित स्मारक – वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार का स्थान और अवस्थिति**		
3.1	संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति	6-7
3.2	संस्मारक की संरक्षित चारदीवारी	7
	3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अभिलेखों के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:	7
3.3	संस्मारक का इतिहास	7-8
3.4	संस्मारक का विवरण (वास्तुशिल्पीय विशेषताएं, तत्व, सामग्रियॉ आदि)	8-9
3.5	वर्तमान स्थिति	9
	3.5.1 संस्मारक की स्थिति- स्थिति का आकलन	9
	3.5.2 प्रतिदिन आने वाले और कभी-कभार एकत्रित होने वाले आगंतुकों की संख्या	9
अध्याय IV **स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में वर्तमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो**		
4.1	वर्तमान क्षेत्रीकरण	10
4.2	स्थानीय निकायों के वर्तमान दिशानिर्देश	10
अध्याय V **प्रथम अनुसूची एवं कुल स्टेशन सर्वेक्षण के अनुसार सूचना**		
5.1	संस्मारक की रूपरेखा योजना	11
5.2	सर्वेक्षित आंकड़ो का विश्लेषण	11
	5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण	11
	5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण	11-12
	5.2.3 हरित/खुले क्षेत्रों का विवरण	12-13
	5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ, आदि	13
	5.2.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार)	13
	5.2.6 राज्य संरक्षित संस्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन	13
	5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं	13
	5.2.8 संस्मारक तक पहुंच	13

	5.2.9 अवसरंचनात्मक सेवाएं	14
	5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशा–निर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण	14
	अध्याय VI **संस्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व**	
6.1	वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व	15-16
6.2	संस्मारक की संवेदनशीलता	16
6.3	संरक्षित संस्मारक या क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता	16
6.4	पहचान किये जाने वाले भू–उपयोग	16
6.5	संरक्षित संस्मारक के अतिरिक्त अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष	16
6.6	सांस्कृतिक परिदृश्य	17
6.7	महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य	17
6.8	खुली जगह और निर्माण का उपयोग	17
6.9	पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियां	17
6.10	संस्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दृश्यमान क्षितिज	17
6.11	पारंपरिक वास्तुकला	17
6.12	स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा यथा उपलब्ध विकासात्मक योजना	17
6.13	प्रस्तावित भवन संबंधी मानदंड	17-19
6.14	आगंतुक सुविधाएं और साधन	19
	अध्याय VII **स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें**	
7.1	स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें	20
7.2	अन्य सिफ़ारिशें	20-21

CONTENTS

CHAPTER I Preliminary		
1.1	Short title, extent and commencements	22
1.2	Definitions	23-24
CHAPTER II Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958		
2.1	Background of The Act	25
2.2	Provisions of the Act related to Heritage Bye-laws	25
2.3	Rights and Responsibilities of the Applicant	25-26
CHAPTER III Location and Setting of Centrally Protected Monument - Vapiyaka cave and Vada Thika Cave, Barabar and Nagarjuni Hill, Jehanabad		
3.1	Location and Setting of the Monument	27-28
3.2	Protected boundary of the Monument	28
	3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records	28
3.3	History of the Monument	28-29
3.4	Description of the Monument (architectural features, elements, materials etc.)	29
3.5	Current Status	29
	3.5.1 Condition of the Monument - condition assessment	29
	3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers	30
CHAPTER IV Existing Zoning, if any, in the Local Area Development Plans		
4.1	Existing Zoning	31
4.2	Existing Guidelines of the local bodies	31
CHAPTER V Information as per First Schedule and Total Station Survey		
5.1	Contour Plan	32
5.2	Analysis of surveyed data	32
	5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details	32
	5.2.2 Description of built up area	32-33
	5.2.3 Description of green/open spaces	33
	5.2.4 Area covered under circulation- roads, footpaths etc	33
	5.2.5 Heights of building (Zone wise)	34
	5.2.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings	34
	5.2.7 Public amenities	34
	5.2.8 Access to monument	34
	5.2.9 Infrastructure services	34
	5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of the Local Bodies	34

CHAPTER VI Architectural, Historical and Archaeological Value of the Monuments		
6.1	Architectural, historical and archaeological value	35
6.2	Sensitivity of the Monument	36
6.3	Visibility from the Protected Monument or area and visibility from Regulated Area	36
6.4	Land-use to be identified	36
6.5	Archaeological heritage remains other than the protected monument	36
6.6	Cultural landscapes	36
6.7	Significant natural landscapes	37
6.8	Usage of open space and constructions	37
6.9	Traditional, historical and cultural activities	37
6.10	Skyline as visible from the monument and from Regulated Areas	37
6.11	Traditional architecture	37
6.12	Developmental plan as available by the local authorities	37
6.13	Proposed Building related parameters	37-39
6.14	Visitor facilities and amenities	39
CHAPTER VII Site Specific Recommendations		
7.1	Site Specific Recommendations	40
7.2	Other Recommendations	40

ANNEXURES		
अनुलग्नक–I Annexure–I	वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद के केंद्रीय संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की संरक्षित सीमा The Protected Boundary of Centrally Protected, Prohibited and Regulated Areas of Vapiyaka cave and Vada Thika Cave, Barabar and Nagarjuni Hill, Jehanabad	41
अनुलग्नक– II Annexure– II	वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार की अधिसूचना Notification of the Vapiyaka Cave and Vada Thika Cave, Barabar and Nagarjuni Hill, Jehanabad, Bihar	42-43
अनुलग्नक–III Annexure-III	वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार का अभिलेखीय मानचित्र Archival Map of Vapiyaka Cave and Vada Thika Cave, Barabar and Nagarjuni Hill, Jehanabad, Bihar	44-45
अनुलग्नक– IV Annexure –IV	संस्मारक और उसके आस–पास के क्षेत्र के छायाचित्र Images of the Monument and its Surroundings	46-47

भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (धरोहर उप-विधि विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम (22) के साथ पठित प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय संरक्षित संस्मारक "**वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार**" के लिए निम्नलिखित धरोहर उप-विधि जिन्हें वास्तुकला एवं आयोजना विभाग, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना, बिहार के परामर्श से सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किया गया है, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्य प्रणाली), नियम, 2011 के नियम 18 के उप नियम (2) द्वारा यथा अपेक्षित जनता से आपत्ति या सुझाव आमंत्रित करने के लिए 22.08.2023 को प्रकाशित किया गया था।

यथा विनिर्दिष्ट दिनांक से पहले प्राप्त आपत्ति/सुझाव पर सक्षम प्राधिकारी के परामर्श से राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण द्वारा विधिवत विचार किया गया है।

इसलिए, अब प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण, निम्नलिखित उप-विधि बनाता है, नामत:

वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार के लिए धरोहर उप-विधि

अध्याय I
प्रारंभिक

1.1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ:-

(i) इन उप-विधियों को केंद्रीय संरक्षित संस्मारक- "**वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार**" के लिए राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण धरोहर उप-विधि, 2024 कहा जाएगा।

(ii) ये संस्मारक के सम्पूर्ण प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र तक लागू होंगी।

(iii) इन उप-विधियों के प्रावधान किसी भी अन्य उप-विधि में निहित असंगतता के बावजूद प्रभावी होंगे, चाहे इन उप-विधियों के प्रारंभ होने से पहले या बाद में बनाए गए हों, या किसी उप-विधि के आधार पर प्रभावी होने वाले किसी भी दस्तावेज़ में हों। इन उप-विधियों को किसी अन्य उप-विधि के अनुरूप बनाने के लिए इनमें संशोधन करना अनिवार्य नहीं होगा।

(iv) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगी।

1.2 परिभाषाएं:-

(1) इन उप-विधियों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत दिए अनुसार परिभाषाएं सुविधा की दृष्टि से यहां पुन: लिखी गई हैं:-

(क) "प्राचीन संस्मारक" से कोई संरचना, रचना या संस्मारक, या कोई स्तूप या स्थान या दफ़नगाह या कोई गुफा, शैल-मूर्ति, शिला-लेख या एकाश्मक जो ऐतिहासिक, पुरातत्वीय या कलात्मक रुचि का है और जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत हैं -

(i) किसी प्राचीन संस्मारक के अवशेष,

(ii) किसी प्राचीन संस्मारक का स्थल,

(iii) किसी प्राचीन संस्मारक के स्थल से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो ऐसे संस्मारक को बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(iv) किसी प्राचीन संस्मारक तक पहुंचने और उसके सुविधाजनक निरीक्षण के साधन;

(ख) ''पुरातत्वीय स्थल और अवशेष" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है, जिसमें ऐतिहासिक या पुरातत्वीय महत्व के ऐसे भग्नावशेष या अवशेष हैं या जिनके होने का युक्तियुक्तरूप से विश्वास किया जाता है, जो कम से कम एक सौ वर्षों से विद्यमान है, और इनके अंतर्गत हैं-

(i) उस क्षेत्र से लगी हुई भूमि का ऐसा भाग जो उसे बाड़ से घेरने या आच्छादित करने या अन्यथा परिरक्षित करने के लिए अपेक्षित हो, तथा

(ii) उस क्षेत्र तक पहुंचने और उसके सुविधापूर्ण निरीक्षण के साधन;

(ग) "अधिनियम" से आशय प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) है;

(घ) "पुरातत्व अधिकारी" से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग का कोई ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो सहायक अधीक्षण पुरातत्वविद से निम्नतर पद (श्रेणी) का नहीं है;

(ड.) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 20च के अधीन गठित राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(च) "सक्षम प्राधिकारी" से केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पुरातत्व निदेशक या पुरातत्व आयुक्त की श्रेणी से नीचे न हो या समतुल्य श्रेणी का ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है, जो इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो:

बशर्ते कि केंद्र सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 20ग, 20घ और 20ङ के प्रयोजन के लिए भिन्न भिन्न सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(छ) "निर्माण" से किसी संरचना या भवन का कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत उसमें ऊर्ध्वाकार या क्षैतिजीय कोई परिवर्धन या विस्तारण भी है, किन्तु इसके अंतर्गत किसी विद्यमान संरचना या भवन का कोई पुन:निर्माण, मरम्मत और नवीकरण या नालियों और जलनिकास सुविधाओं तथा सार्वजनिक शौचालयों, मूत्रालयों और इसी प्रकार की सुविधाओं का निर्माण, अनुरक्षण और सफाई या जनता के लिए जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए आशयित सुविधाओं का निर्माण और अनुरक्षण या जनता के लिए विद्युत की आपूर्ति और वितरण के लिए निर्माण या

अनुरक्षण, विस्तारण, प्रबंध या जनता के लिये इसी प्रकार की सुविधाओं के लिए व्यवस्था शामिल नहीं हैं;

(ज) "तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.)" से आशय सभी तलों के कुल आवृत्त क्षेत्र का (पीठिका क्षेत्र) भूखंड (प्लाट) के क्षेत्रफल से भाग करके प्राप्त होने वाले भागफल से अभिप्रेत है;

तल क्षेत्र अनुपात = भूखंड क्षेत्र द्वारा विभाजित सभी तलों का कुल आवृत्त क्षेत्र;

(झ) "सरकार" से आशय भारत सरकार से है;

(ञ) अपने व्याकरणिक रूपों और सजातीय पदों सहित "अनुरक्षण" के अंतर्गत हैं किसी संरक्षित संस्मारक को बाड़ से घेरना, उसे आच्छादित करना, उसकी मरम्मत करना, उसका पुनरूद्धार करना और उसकी सफाई करना, और कोई ऐसा कार्य करना शामिल है जो किसी संरक्षित संस्मारक के परिरक्षण या उस तक सुविधाजनक पहुंच को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक है;

(ट) "स्वामी" के अंतर्गत हैं-

(i) संयुक्त स्वामी जिसमें अपनी ओर से तथा अन्य संयुक्त स्वामियों की ओर से प्रबंध करने की शक्तियॉ निहित हैं और किसी ऐसे स्वामी के हक-उत्तराधिकारी, तथा

(ii) प्रबंध करने की शक्तियों का प्रयोग करने वाला कोई प्रबंधक या न्यासी और ऐसे किसी प्रबंधक या न्यासी का पद में उत्तराधिकारी;

(ठ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है:

(ड) "प्रतिषिद्ध क्षेत्र" से धारा 20 (क) के अधीन प्रतिषिद्ध क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट क्षेत्र या घोषित किया गया कोई क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ढ़) "संरक्षित क्षेत्र" से कोई ऐसा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(ण) "संरक्षित संस्मारक" से कोई ऐसा प्राचीन संस्मारक अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का होना घोषित किया गया है;

(त) "विनियमित क्षेत्र" से इस अधिनियम की धारा 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट या घोषित (किया गया विनियमित क्षेत्र) अभिप्रेत है;

(थ) "पुन:निर्माण" से किसी संरचना या भवन का उसकी पूर्व विद्यमान संरचना में ऐसा कोई परिनिर्माण अभिप्रेत है, जिसकी क्षैतिजीय और ऊर्ध्वाकार सीमाएं समान हैं;

(द) "मरम्मत और पुनरुद्धार" से किसी पूर्व विद्यमान संरचना या भवन के परिवर्तन अभिप्रेत हैं, किन्तु इसके अंतर्गत निर्माण या पुन:निर्माण नहीं होंगे।

(2) इसमें प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का आशय वही अर्थ होगा जैसा अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों में समनुदेशित किया गया है।

अध्याय II

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (एएमएएसआर) अधिनियम, 1958 की पृष्ठभूमि

2.1 अधिनियम की पृष्ठभूमि:

धरोहर उप-विधियों का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित संस्मारकों की सभी दिशाओं में 300 मीटर के अंदर भौतिक, सामाजिक और आर्थिक दखल के बारे में मार्गदर्शन देना है। 300 मीटर के क्षेत्र को दो भागों में बॉटा गया है (i) **प्रतिषिद्ध क्षेत्र**, यह क्षेत्र संरक्षित क्षेत्र अथवा संरक्षित संस्मारक की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में एक सौ मीटर की दूरी तक फैला है और (ii) **विनियमित क्षेत्र**, यह क्षेत्र प्रतिषिद्ध क्षेत्र की सीमा से शुरू होकर सभी दिशाओं में दो सौ मीटर की दूरी तक फैला है।

अधिनियम के उपबंधों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति संरक्षित क्षेत्र और प्रतिषिद्ध क्षेत्र में किसी प्रकार का निर्माण अथवा खनन का कार्य नहीं कर सकता जबकि ऐसा कोई भवन अथवा संरचना जो प्रतिषिद्ध क्षेत्र में 16 जून, 1992 से पूर्व मौजूद था अथवा जिसका निर्माण बाद में महानिदेशक (डीजी), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति से हुआ था, और विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना का निर्माण, पुन:निर्माण, मरम्मत अथवा पुनरुद्धार की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से लेना अनिवार्य है।

2.2 धरोहर उप-विधियों से संबंधित अधिनियम के उपबंध:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ और प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष नियम (धरोहर उप-विधियों का विनिर्माण और सक्षम प्राधिकारी के अन्य कार्य) नियम 2011 के नियम 22 में केंद्रीय संरक्षित संस्मारकों के लिए उप-विधि बनाना विनिर्दिष्ट है। नियम में धरोहर उप-विधि बनाने के लिए मापदंडों का प्रावधान है। राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें तथा कार्य संचालन) नियम, 2011 के नियम 18 में प्राधिकरण द्वारा धरोहर उप विधि के अनुमोदन की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट है।

2.3 आवेदक के अधिकार और जिम्मेदारियां:

प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ग में प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मरम्मत और नवीकरण के लिए अथवा विनियमित क्षेत्र में निर्माण अथवा पुन: निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण के लिए नीचे दिये गये अनुसार आवेदन का ब्योरा दिया गया है:

क) कोई भी व्यक्ति, जो किसी भवन या संरचना का स्वामी है, जो 16 जून, 1992 से पहले प्रतिषिद्ध क्षेत्र में मौजूद थी, या जिसे बाद में महानिदेशक, एएसआई की मंजूरी के साथ बनाया गया था और जो ऐसे किसी भी भवन या संरचना की मरम्मत या नवीकरण का कार्य करना चाहता है तो वह ऐसी मरम्मत और नवीकरण, जैसा भी मामला हो, करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

ख) कोई व्यक्ति जो किसी विनियमित क्षेत्र में किसी भवन अथवा संरचना अथवा भूमि का स्वामी है और ऐसी भूमि पर कोई निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा

नवीकरण, जैसा भी मामला हो, करना चाहता है तो वह निर्माण अथवा पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत अथवा नवीकरण जैसा भी मामला हो, के लिए सक्षम प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है।

ग) सभी संबंधित सूचना प्रस्तुत करने तथा राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण (प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें और कार्यप्रणाली) नियम, 2011 के अनुपालन की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अध्याय III

केंद्रीय संरक्षित स्मारक - वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार का स्थान और अवस्थिति

3.1 संस्मारक का स्थान एवं अवस्थिति:

संस्मारक जीपीएस निर्देशांक: 25° 0'40.32"एन, 85° 4'37.10"ई पर स्थित है

संस्मारक में पश्चिम से पैदल चलने योग्य रास्ते से पहुंचा जा सकता है जो आगे दक्षिण में बेलागंज-बराबर सड़क को जोड़ता है। जहानाबाद बस अड्डा और मखदुमपुर गया रेलवे स्टेशन स्मारक के उत्तर-पश्चिम से क्रमश: 33.2 किमी और 16 किमी की दूरी पर हैं। गया एयरपोर्ट और जय प्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पटना, स्मारक से क्रमश: 42 किमी (दक्षिण) और 81.8 किमी की दूरी पर स्थित है (उत्तर)।

नागार्जुनी समूह की वापिया-का-कुभा और वदाथी-ला-कुभा नाम की दो गुफाएँ नागार्जुनी पहाड़ी के उत्तरी किनारे पर एक निचली चट्टानी पहाड़ी पर स्थित हैं। पहाड़ियाँ विशाल काले पत्थरों से बनी हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और नीचे बड़ी-बड़ी गुफाएँ हैं और फूलों की झाड़ियों और लताओं से ढ़की हुई हैं।

स्मारक अन्य केंद्रीय संरक्षित स्मारक नामत: गोपी गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार के निकट स्थित है। ओवरलैपिंग प्रतिषिद्ध और विनियमित सीमाओं को दर्शाने वाला क्लस्टर मानचित्र चित्र 2 में देखा जा सकता है।

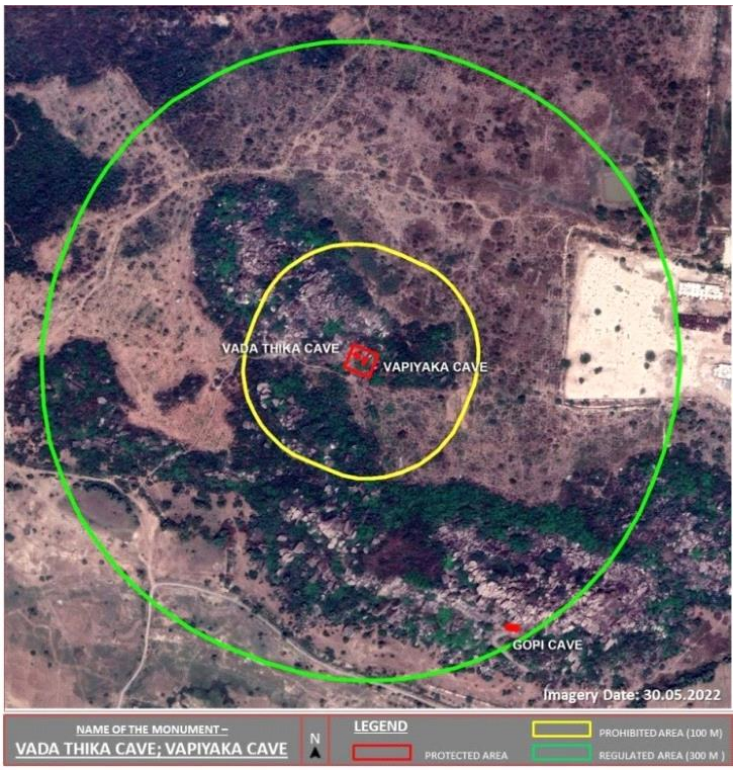

चित्र 1: संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के साथ वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार का स्थान दर्शाने वाला गूगल मानचित्र

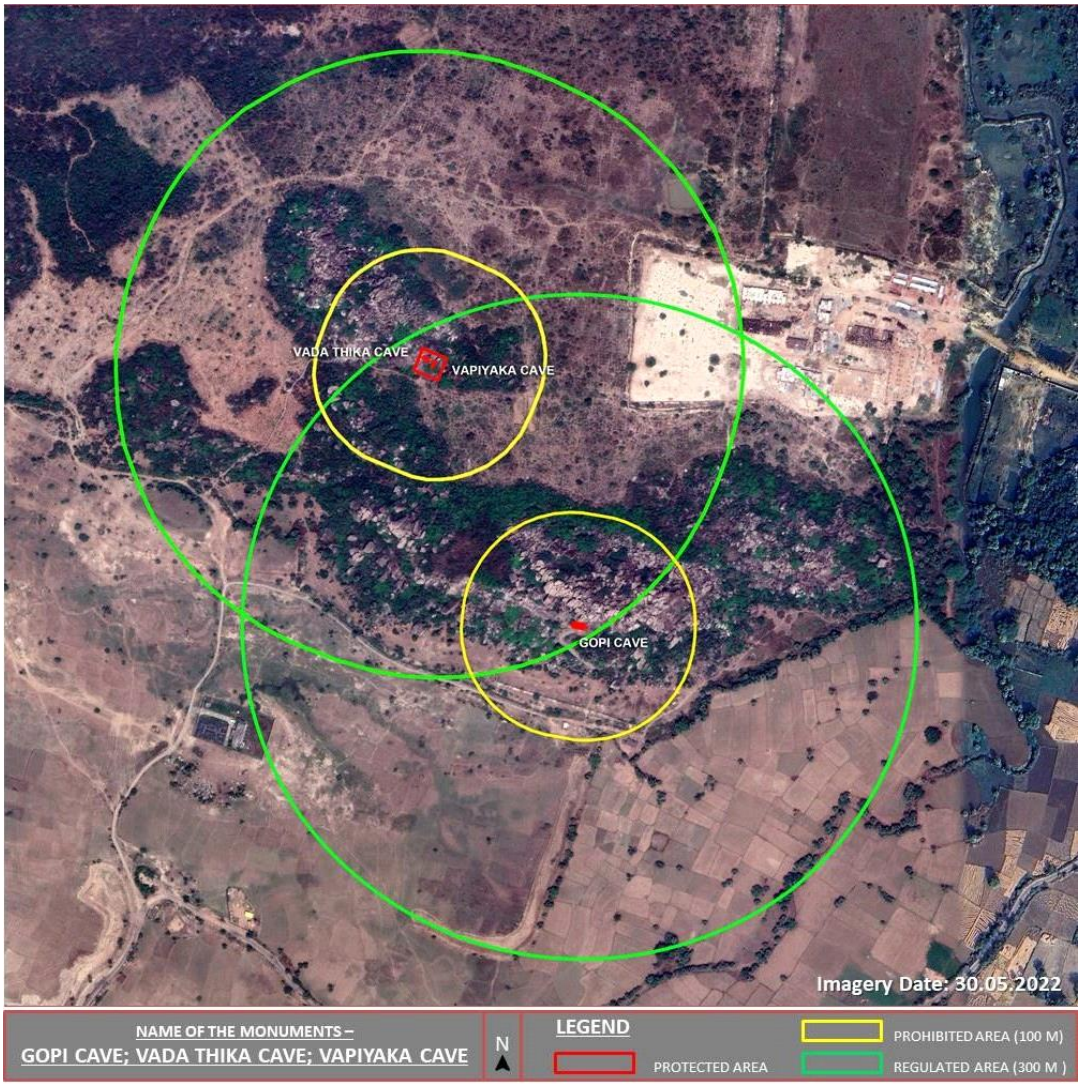

चित्र 2: संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के साथ वाडा थिका गुफा, वापियाका गुफा और गोपी गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार का स्थान दर्शाने वाला गूगल मानचित्र

3.2 केंद्रीय संरक्षित स्मारक की संरक्षित चारदीवारी:

वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद की संरक्षित सीमा का मानचित्र **अनुलग्नक - I** में देखा जा सकता है।

3.2.1 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) अभिलेख के अनुसार अधिसूचना मानचित्र/योजना:

वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद की राजपत्र अधिसूचना की प्रति **अनुलग्नक – II** में देखी जा सकती है।

3.3 संस्मारक का इतिहास:

जिले में सबसे पुराने पुरातात्विक अवशेष बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नागार्जुनी रेंज में बराबर रेंज के उत्तर-पूर्व में लगभग 0.8 किमी दूर तीन खोदी

गई गुफाएँ हैं, जिनमें अशोक के पोते दशरथ (214 ईसा पूर्व) के शिलालेख हैं। नागार्जुनी पहाड़ियों में तीन गुफाएँ हैं अर्थात् गोपी गुफा, वडा थिका गुफा और वापियाका गुफा। ये भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, जो अशोक और उनके पोते दशरथ के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य की हैं। इस काल में आमतौर पर गुफाओं का उपयोग विहार, अर्थात् जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा रहने के स्थान के लिए किया जाता था। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों के गुफा आवास बिहार की गुफा वास्तुकला के शुरुआती उदाहरण पेश करते हैं, जो वास्तव में वर्तमान लकड़ी और छप्पर संरचना का रूपान्तरण थे।[1]

नागार्जुनी गुफाओं की खुदाई उनके पोते दशरथ के शासनकाल के पहले वर्ष यानी लगभग 231 ईसा पूर्व में की गई थी। वे सबसे कठोर प्रकार की तप प्रथाओं के लिए जाने, जाने वाले आजीविकों को समर्पित थीं। बाद की तारीख के शिलालेखों से यह देखा जा सकता है कि गुफाएँ सदियों से ब्राह्मण तपस्वियों द्वारा कब्जा कर ली गई थीं। तीसरी या पांचवीं शताब्दी ईस्वी के आसपास राजा सरदुला वर्मन और अनंत वर्मन ने तीन गुफाओं में ब्राह्मणवादी मूर्तियां स्थापित की और छठी अथवा सातवीं शताब्दी में शिक्षक योगानंद ने वापियाका में सिद्धेश्वर लिंगम की पूजा का एक रिकॉर्ड छोड़ा। गुफ़ा। नागार्जुनी पहाड़ियों का नाम इस परंपरा से लिया गया है कि प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षक नागार्जुन इन गुफाओं में से एक में रहते थे।[2]

3.4 स्मारक का विवरण (वास्तुशिल्पीय विशेषताएं, तत्व, सामग्री आदि) :

वडा थिका गुफा चट्टान की दरार या प्राकृतिक दरार में स्थित है और केवल 2 फीट 10 इंच चौड़े एक संकीर्ण मार्ग से प्रवेश किया जाता है। गुफा की माप 5.10 मीटर x 3.43 मीटर है और दीवारें फर्श के स्तर से दाईं ओर मुड़ी हुई हैं। द्वार के दाहिने हाथ के चौखट पर एक शिलालेख में इस गुफा को वडा थिका गुफा कहा गया है जिसके बारे में जनरल कनिंघम का सुझाव है कि इसका मतलब एकांत भिक्षुकों की गुफा हो सकता है। यह अर्थ गुफा की स्थिति के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह गुफा से पूर्व की ओर पूरी तरह से अलग है जिस दरार में यह स्थित है, वहां की चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और दृश्य से प्रभावी रूप से छिपा हुआ है।[3]

इसके बगल की गुफा यानी वापियाका गुफा में एक छोटा बरामदा या सामने का कक्ष है, जहां से एक संकीर्ण द्वार मुख्य कक्ष की ओर जाता है। गुफा में 5.11 मीटर x 3.43 मीटर का एक कक्ष और 1.83 मीटर x 1.68 मीटर का एक बरामदा शामिल है। छत गुंबददार है और सभी दीवारें अत्यधिक पॉलिश की हुई हैं। बरामदे के बाईं ओर एक शिलालेख से यह समझा जा सकता है कि गुफा को वापियाका

[1] Bihar District Gazetteers – Gaya (1957)
[2] Bihar District Gazetteers – Gaya (1957)
[3] Bihar District Gazetteers – Gaya (1957)

कहा जाता था – एक शब्द जो संभवतः इसके सामने के कुएं (वापी) को संदर्भित करता है।

3.5 वर्तमान स्थिति:

3.5.1 स्मारक की स्थिति – स्थिति का आकलन:

केंद्रीय संरक्षित स्मारक और उसके संरक्षित क्षेत्रों का रखरखाव और संरक्षण एएसआई का अधिकार क्षेत्र है। स्मारक की वर्तमान स्थिति को दर्शाने वाले चित्र **अनुबंध IV** में दिए गए हैं।

3.5.2 दैनिक दर्शकों की संख्या और कभी-कभार एकत्रित होने वालों की संख्या:

स्थल पर प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 30 से 35 है। व्यस्ततम मौसम के दौरान प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 50 हो जाती है।

अध्याय IV

स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं में वर्तमान क्षेत्रीकरण, यदि कोई हो

4.1. वर्तमान क्षेत्रीकरण:

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आज तक कोई क्षेत्रीकरण विनियम या मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया है।

4.2 स्थानीय निकायों के वर्तमान दिशानिर्देश:

चूंकि, स्थानीय अधिकारियों द्वारा कोई भूमि उपयोग योजना/मास्टर प्लान/क्षेत्रीकरण विनियम तैयार नहीं किए जाते हैं, इसलिए इस धरोहर उप-विधि को स्थानीय भवन उप-नियमों पर प्राथमिकता दी जाती है। परिणामस्वरूप, वर्तमान भूमि उपयोग में परिवर्तन प्रतिषिद्ध है। भूमि-उपयोग योजना/मास्टर प्लान/क्षेत्रीकरण विनियम आदि तैयार करते समय इस उप-विधि में उल्लिखित प्रावधानों पर विचार करना और उन्हें शामिल करना अनिवार्य है। अन्य प्रावधानों को अध्याय VI, धारा 6.13 में देखा जा सकता है।

अध्याय V

प्रथम अनुसूची, नियम 21(1) के अनुसार जानकारी/भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अभिलेखों में परिभाषित सीमाओं के आधार पर प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों का कुल स्टेशन सर्वेक्षण

5.1 वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार की रूपरेखा योजना:

वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार, की सर्वेक्षण योजना को **अनुलग्नक-I** में देखा जा सकता है।

वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद के अभिलेखीय मानचित्र को **अनुलग्नक-III** में देखा जा सकता है।

5.2 सर्वेक्षित आंकड़ों का विश्लेषण:

5.2.1 प्रतिषिद्ध क्षेत्र और विनियमित क्षेत्र का विवरण:

- कुल संरक्षित क्षेत्र: 606 वर्गमीटर लगभग)
- कुल प्रतिषिद्ध क्षेत्र: 41,260 वर्गमीटर लगभग)
- कुल विनियमित क्षेत्र: 2,70,957 वर्गमीटर लगभग)

मुख्य विशेषताएं

स्मारक के दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में कृषि भूमि के बड़े हिस्से हैं। स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की भूमि का बड़ा हिस्सा बिहार के वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

नागार्जुनी पहाड़ियाँ एक के ऊपर एक रखे गए विशाल काले पत्थरों से बनी हैं जिनके नीचे बड़ी-बड़ी गुफाएँ हैं और फूलों की झाड़ियों और लताओं से ढ़की हुई हैं। पहाड़ियाँ वाहन जाने योग्य सड़क से जुड़ी हुई हैं और गुफाओं तक गुफा की सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है।

5.2.2 निर्मित क्षेत्र का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र: स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के सभी किनारों पर वनस्पति विकास के साथ नागार्जुनी पहाड़ी के विशाल काले पत्थर मौजूद हैं। भूमि का बड़ा हिस्सा बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में है।

विनियमित क्षेत्र:

उत्तर: झाड़ियों के साथ खुले स्थान; भूमि का अधिकांश भाग बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

उत्तर-पश्चिम: नागार्जुनी पहाड़ी के विशाल काले पत्थर; झाड़ियों के साथ खुली जगहें; भूमि का कुछ भाग बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

दक्षिण: नागार्जुनी पहाड़ी के विशाल काले पत्थर; कीचड़ भरी सड़क; और झाड़ियों के साथ खुले स्थान; भूमि का कुछ भाग बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

दक्षिण-पूर्व: गोपी गुफा (केंद्रीय संरक्षित स्मारक); नागार्जुनी पहाड़ी के विशाल काले पत्थर; भूमि का कुछ भाग बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पूर्व: कृषि भूमि का बड़ा भूभाग; झाड़ियों के साथ खुली जगहें; राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहानाबाद के भाग (वर्ष 2019 में स्थापित)

पश्चिम: नागार्जुनी पहाड़ी के विशाल काले पत्थर; कृषि भूमि का बड़ा भूभाग; कच्ची सड़क और झाड़ियों के साथ खुली जगह; भूमि का कुछ भाग बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

5.2.3 हरित/खुले स्थानों का विवरण:

प्रतिषिद्ध क्षेत्र: स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र के सभी किनारों पर झाड़ियों के साथ नागार्जुनी पहाड़ी के विशाल काले पत्थर मौजूद हैं। भूमि का बड़ा हिस्सा बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में है।

विनियमित क्षेत्र:
उत्तर: झाड़ियों के साथ खुले स्थान; भूमि का अधिकांश भाग बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

उत्तर-पश्चिम: नागार्जुनी पहाड़ी के विशाल काले पत्थर; झाड़ियों के साथ खुली जगहें; भूमि का कुछ भाग बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

दक्षिण: नागार्जुनी पहाड़ी के विशाल काले पत्थर; कीचड़ भरी सड़क; और झाड़ियों के साथ खुले स्थान; भूमि का कुछ भाग बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

दक्षिण-पूर्व: गोपी गुफा (केंद्रीय संरक्षित स्मारक); नागार्जुनी पहाड़ी के विशाल काले पत्थर; भूमि का कुछ भाग बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

पूर्व: कृषि भूमि का बड़ा भूभाग; झाड़ियों के साथ खुली जगहें; राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहानाबाद के भाग (वर्ष 2019 में स्थापित)

पश्चिम: नागार्जुनी पहाड़ी के विशाल काले पत्थर; कृषि भूमि का बड़ा भूभाग; कच्ची सड़क और झाड़ियों के साथ खुली जगह; भूमि का कुछ भाग बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है।

5.2.4 परिसंचरण के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र - सड़कें, फुटपाथ, आदि:

स्मारक तक पश्चिम से पैदल चलने योग्य पहाड़ी सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जिस तक मोटर वाहन द्वारा पहुंचा जा सकता है जो दक्षिण दिशा में आगे बेलागंज-बराबर मार्ग को जोड़ती है।

5.2.5 भवनों की ऊंचाई (क्षेत्रवार):

उत्तर, दक्षिण और पश्चिम: कोई निर्माण मौजूद नहीं है।

पूर्व: अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर है।

स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर कोई भी निर्माण गतिविधि नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की भूमि का बड़ा हिस्सा बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालाँकि, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहानाबाद (वर्ष 2019 में स्थापित) में होने वाला निर्माण, स्मारक के पूर्व की ओर विनियमित क्षेत्र में देखा जा सकता है।

5.2.6 प्रतिषिद्ध/विनियमित क्षेत्र के भीतर स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा राज्य संरक्षित स्मारक और सूचीबद्ध धरोहर भवन, यदि उपलब्ध हों:

स्मारक के विनियमित क्षेत्र (दक्षिण-पूर्व) में गोपी गुफा (सीपीएम) मौजूद है। स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर कोई अन्य राज्य संरक्षित स्मारक और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सूचीबद्ध विरासत भवन मौजूद नहीं हैं।

5.2.7 सार्वजनिक सुविधाएं:

आगंतुकों के लिए स्मारक के संरक्षित क्षेत्र के अंदर सार्वजनिक सुविधाएं मौजूद नहीं हैं।

5.2.8 स्मारक तक पहुंच:

स्मारक तक पश्चिम से पैदल चलने योग्य पहाड़ी सड़क के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जिस तक मोटर वाहन चलने योग्य सड़क द्वारा पहुंचा जा सकता है जो दक्षिण दिशा में आगे बेलागंज-बराबर मार्ग को जोड़ती है। परिवहन का मुख्य साधन मोटरसाइकिल, स्कूटर, साइकिल, कार, ऑटो-रिक्शा आदि हैं।

5.2.9 अवसंरचना सेवाएँ (जल आपूर्ति, वर्षा जल निकासी, सीवेज, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, पार्किंग आदि) :

आगंतुकों के लिए स्मारक के संरक्षित क्षेत्र के अंदर बुनियादी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं।

5.2.10 स्थानीय निकायों के दिशानिर्देशों के अनुसार क्षेत्र का प्रस्तावित क्षेत्रीकरण:

स्थानीय प्राधिकारियों के पास कोई विकास योजना/मास्टर प्लान उपलब्ध नहीं है, इसलिए दिए गए क्षेत्र के लिए किसी क्षेत्रीकरण की पहचान नहीं की जा सकती है।

अध्याय VI

स्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व

6.1 स्मारक का वास्तुकला, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व:

जिले में सबसे पुराने पुरातात्विक अवशेष बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। नागार्जुनी रेंज में बराबर रेंज के उत्तर-पूर्व में लगभग 0.8 किमी दूर तीन खोदी गई गुफाएँ हैं, जिनमें अशोक के पोते दशरथ (214 ईसा पूर्व) के शिलालेख हैं। नागार्जुनी पहाड़ियों में तीन गुफाएँ हैं अर्थात् गोपी गुफा, वडा थिका गुफा और वापियाका गुफा। ये भारत की सबसे पुरानी जीवित चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, जो अशोक और उनके पोते दशरथ के शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य की हैं। इस काल में आमतौर पर गुफाओं का उपयोग विहार, अर्थात् जैन और बौद्ध भिक्षुओं द्वारा रहने के स्थान के लिए किया जाता था। बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों के गुफा आवास बिहार की गुफा वास्तुकला के शुरुआती उदाहरण पेश करते हैं, जो वास्तव में वर्तमान लकड़ी और छप्पर संरचना का रूपान्तरण थे।

नागार्जुनी गुफाओं की खुदाई उनके पोते दशरथ के शासनकाल के पहले वर्ष यानी लगभग 231 ईसा पूर्व में की गई थी। वे सबसे कठोर प्रकार की तप प्रथाओं के लिए जाने, जाने वाले आजीविकों को समर्पित थीं। बाद की तारीख के शिलालेखों से यह देखा जा सकता है कि गुफाएँ सदियों से ब्राह्मण तपस्वियों द्वारा कब्जा कर ली गई थीं। तीसरी या पांचवीं शताब्दी ईस्वी के आसपास राजा सरदुला वर्मन और अनंत वर्मन ने तीन गुफाओं में ब्राह्मणवादी मूर्तियां स्थापित की और छठी अथवा सातवीं शताब्दी में शिक्षक योगानंद ने वापियाका में सिद्धेश्वर लिंगम की पूजा का एक रिकॉर्ड छोड़ा। गुफ़ा। नागार्जुनी पहाड़ियों का नाम इस परंपरा से लिया गया है कि प्रसिद्ध बौद्ध शिक्षक नागार्जुन इन गुफाओं में से एक में रहते थे।

वास्तुशिल्पीय मूल्य:

वडा थिका गुफा चट्टान की दरार या प्राकृतिक दरार में स्थित है और केवल 2 फीट 10 इंच चौड़े एक संकीर्ण मार्ग से प्रवेश किया जाता है। गुफा की माप 5.10 मीटर x 3.43 मीटर है और दीवारें फर्श के स्तर से दाईं ओर मुड़ी हुई हैं। द्वार के दाहिने हाथ के चौखट पर एक शिलालेख में इस गुफा को वडा थिका गुफा कहा गया है जिसके बारे में जनरल कनिंघम का सुझाव है कि इसका मतलब एकांत भिक्षुकों की गुफा हो सकता है। यह अर्थ गुफा की स्थिति के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह गुफा से पूर्व की ओर पूरी तरह से अलग है जिस दरार में यह स्थित है, वहां की चट्टानी पहाड़ियों से घिरा हुआ है और दृश्य से प्रभावी रूप से छिपा हुआ है।

इसके बगल की गुफा यानी वापियाका गुफा में एक छोटा बरामदा या सामने का कक्ष है, जहां से एक संकीर्ण द्वार मुख्य कक्ष की ओर जाता है। गुफा में 5.11 मीटर x 3.43 मीटर का एक कक्ष और 1.83 मीटर x 1.68 मीटर का एक बरामदा

शामिल है। छत गुंबददार है और सभी दीवारें अत्यधिक पॉलिश की हुई हैं। बरामदे के बाईं ओर एक शिलालेख से यह समझा जा सकता है कि गुफा को वापियाका कहा जाता था – एक शब्द जो संभवतः इसके सामने के कुएं (वापी) को संदर्भित करता है

6.2 स्मारक की संवेदनशीलता (जैसे विकासात्मक दबाव, शहरीकरण, जनसंख्या दबाव, आदि):

स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र के भीतर कोई भी विकास/निर्माण गतिविधि नहीं देखी जा सकती है, क्योंकि स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की भूमि का बड़ा हिस्सा बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालाँकि, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, जहानाबाद (वर्ष 2019 में स्थापित) के होने वाले निर्माण को स्मारक के विनियमित क्षेत्र (पूर्व की ओर) में देखा जा सकता है, जो स्मारक के विनियमित क्षेत्र के भीतर सहायक गतिविधियों के आगे निर्माण की शुरुआत कर सकता है।

तथापि स्थल प्राकृतिक आपदा विशेष रूप से 1934 में भूकंप से प्रभावित हुआ है। प्राकृतिक विध्वंसकारी कंपन के कारण बड़ी दरारे आ गई जिसने बराबर समूह की गुफाओं की पूरी लंबाई का पूरी तरह से नष्ट कर दिया।

6.3 संरक्षित स्मारक/क्षेत्र से दृश्यता और विनियमित क्षेत्र से दृश्यता:

<u>प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्र की सभी दिशाओं से स्मारक तक दृश्यता:</u>

नागार्जुनी पहाड़ियों के विशाल काले पत्थरों को एक के ऊपर एक झाड़ियों के साथ देखा जा सकता है। स्मारक अपने स्थान की प्रकृति के कारण सीधे दिखाई नहीं देता है।

<u>स्मारक से दृश्यता</u> : नागार्जुनी पहाड़ियों के विशाल काले पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए स्मारक से देखे जा सकते हैं।

6.4 पहचान किया जाने वाला भू-उपयोग:

समीपवर्ती भूमि मुख्य रूप से कृषि भूमि के रूप में किया जाता है तथापि नागार्जुनी पहाड़ियों द्वारा कुछ हिस्सों और भूमि के बड़े हिस्से पर भी कब्जा है। यह स्थान अधिकतर आगंतुकों के लिए खुले संरक्षित विरासत क्षेत्र के रूप में उपयोग किया जाता है। स्मारक के आसपास की प्रमुख भूमि बंजर/चट्टानी है, वनस्पति विहीन है और वन विभाग की है।

6.5 संरक्षित स्मारक के अतिरिक्त अन्य पुरातात्विक धरोहर अवशेष:

बराबर पहाड़ियों में चार गुफाएँ (केंद्रीय संरक्षित) हैं जिनके नाम सुदामा, विश्वकर्मा, करण चौपर और लोमस ऋषि हैं।

विनियमित क्षेत्र में स्मारक के दक्षिण-पूर्व की ओर गोपी गुफा (केंद्रीय संरक्षित) है।

6.6 सांस्कृतिक परिदृश्य:

जहानाबाद जिले में स्थित बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों में भारत में तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से संबंधित रॉक-कट वास्तुकला के सबसे पुराने उदाहरण मौजूद हैं और इस प्रकार यह स्मारक के सांस्कृतिक परिदृश्य के घटकों का निर्माण करता है।

6.7 महत्वपूर्ण प्राकृतिक परिदृश्य जो सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा बनते हैं और स्मारक को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने में भी मदद करते हैं:

यह स्मारक नागार्जुनी पहाड़ियों पर स्थित है। पहाड़ी में विशाल काले पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। स्मारक के आसपास के प्राकृतिक परिदृश्य के कारण यह स्मारक सभी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त है।

6.8 खुली जगह और निर्माण का उपयोग :

पहाड़ी इलाका होने के कारण संरक्षित क्षेत्र के आसपास कोई विकास या निर्माण गतिविधियां नहीं देखी जा सकती हैं। विनियमित क्षेत्र में स्मारक के उत्तर-पश्चिम में कुछ मनोरंजक गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं।

6.9 पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ:

वर्तमान समय में स्मारक के साथ ऐसी कोई पारंपरिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक गतिविधियाँ जुड़ी हुई नहीं हैं। हालाँकि, प्रतिषिद्ध क्षेत्र के आसपास की गुफा और उसके आसपास की सभी इमारतें प्राकृतिक और चट्टानों को काटकर बनाई गई वास्तुकला हैं।

6.10 स्मारक और विनियमित क्षेत्रों से दृश्यमान क्षितिज:

स्मारक से साफ आसमान और नागार्जुनी पहाड़ियों से घिरी बड़ी घाटी देखी जा सकती है।

6.11 पारंपरिक वास्तुकला:

स्मारक के आसपास कोई पारंपरिक वास्तुकला विद्यमान नहीं है, हालाँकि, सभी गुफाएँ रॉक कट वास्तुकला का एक हिस्सा हैं।

6.12 स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उपलब्ध विकास योजना:

स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा आज तक कोई क्षेत्रीकरण विनियम या मास्टर प्लान/विकास योजना तैयार नहीं की गई है।

6.13 प्रस्तावित भवन संबंधी मानदंड:

स्मारक वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा अन्य केंद्रीय संरक्षित अर्थात् गोपी गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद के निकट स्थित है। प्रतिषिद्ध और विनियमित सीमाएँ स्मारक के बफर ज़ोन के साथ ओवरलैप होती हैं। उप-विधियों को

एक दूसरे के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। किसी भी स्मारक से किसी भूखंड की दूरी की गणना करते समय उपरोक्त पर विचार किया जाना चाहिए

<u>प्रतिषिद्ध क्षेत्र</u>:

एएमएएसआर अधिनियम के अनुसार केंद्रीय संरक्षित स्मारक की अधिसूचित संरक्षित सीमा से 100 मीटर के दायरे में किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं होगी। चूंकि प्रतिषिद्ध क्षेत्र में वर्तमान में कोई निर्माण नहीं है, इसलिए मरम्मत, नवीनीकरण और पुनर्निर्माण के नियम इस क्षेत्र पर लागू नहीं होते हैं।

स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र की भूमि के कुछ हिस्से, जो बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

<u>विनियमित क्षेत्र</u>:

क) स्थल पर निर्माण की अनुमेय ऊंचाई (ममटी, पैरापेट आदि जैसी छत संरचनाओं सहित) :

स्मारक के प्रतिषिद्ध क्षेत्र की भूमि के कुछ हिस्से, जो बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

स्मारक के दक्षिण की ओर विनियमित क्षेत्र में वर्तमान भूमि उपयोग पर केवल निर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आने वाले निर्माण की अनुमति है। इन छूटों में किसानों के लिए आवास इकाइयां, भंडारण सुविधाएं, प्रसंस्करण इकाइयां और कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए स्थान, कृषि आधारित गतिविधियों के लिए फार्म हाउस आदि जैसे निर्माण शामिल हैं। बेसमेंट के निर्माण की अनुमति नहीं होगी। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विनियमित क्षेत्र के भीतर किसी भी छूट वाले निर्माण को ऊंचाई प्रतिबंध का पालन करना होगा, कुल ऊंचाई **5 मीटर** (कुल मिलाकर) से अधिक नहीं होगी।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अधिकतम अनुमेय ऊंचाई **5 मीटर** (कुल मिलाकर) तक की ऐसी इमारतों के लिए सार्वजनिक सुविधाओं या ढांचागत सुविधाओं के लिए निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए।

ख) उपयोग:

चूंकि स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा कोई भूमि उपयोग योजना/मास्टर प्लान/क्षेत्रीकरण विनियम तैयार नहीं किए जाते हैं। इसलिए यह धरोहर उप-विधि स्थानीय भवन उप-नियमों पर पूर्वता लेता है। इसके परिणामस्वरूप, वर्तमान भूमि उपयोग में परिवर्तन प्रतिषिद्ध है। भूमि-उपयोग योजना/मास्टर प्लान/क्षेत्रीकरण विनियम आदि तैयार करते समय, इस धरोहर उप-विधि में उल्लिखित प्रावधानों पर विचार करना और उन्हें शामिल करना अनिवार्य है।

ग) अग्रभाग डिजाइन:-

छूट प्राप्त निर्माणों में उपयोग की जाने वाली स्थानीय निर्माण सामग्री का उपयोग करते हुए स्थानीय वास्तुकला।

न्यूनतम डिज़ाइन, बाहरी अग्रभाग पर क्लैडिंग या पैनलिंग जैसी किसी भी अन्तर्वेधी सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- रंगीन ग्लेज़िंग के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

घ) छत का डिज़ाइन:-

क्षेत्र में केवल सपाट/पक्की छत के डिजाइन का ही पालन किया जाना है।

इमारत की छत पर अस्थायी सामग्री जैसे एल्यूमीनियम, फाइबर ग्लास, पॉली कार्बोनेट या इसी तरह की सामग्री का उपयोग करने वाली संरचनाओं की अनुमति नहीं होगी।

छत पर रखी गई बड़ी एयर कंडीशनिंग इकाइयों, पानी की टंकियों या बड़े जनरेटर सेट जैसी सभी सेवाओं को स्क्रीन दीवारों (ईंट/सीमेंट शीट आदि) का उपयोग करके बंद किया जाना चाहिए। इन सभी सेवाओं को अधिकतम अनुमेय ऊंचाई में शामिल किया जाना चाहिए।

ड.) निर्माण सामग्री: -

बाहरी सजावट के लिए आधुनिक सामग्री जैसे एल्युमीनियम क्लैडिंग, कांच की ईंटें और किसी भी अन्य सिंथेटिक टाइल या सामग्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ईंट और पत्थर जैसी पारंपरिक सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए।

च) रंग

बाहरी रंग स्मारक और आसपास के क्षेत्र के अनुरूप तटस्थ स्वर का होना चाहिए।

6.14 आगंतुक सुविधाएं और साधन:

आगंतुक सुविधाएं और साधन जैसे रोशनी, शौचालय, व्याख्या केंद्र, कैफेटेरिया, पीने का पानी, स्मारिका दुकान, रैंप, सीसीटीवी और ब्रेल स्थल पर उपलब्ध होनी चाहिए।

अध्याय VII

स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें

7.1 स्थल विशिष्ट सिफ़ारिशें:

I. ऐतिहासिक परिसर के भीतर सभी संकेतक स्मारक और उसके आसपास की विशेषता के साथ संगत और सामंजस्यपूर्ण होने चाहिए।

II. साइनेज की स्थापना से ऐतिहासिक ताने-बाने को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए और न ही स्मारक की ऐतिहासिक विशेषता कम होनी चाहिए।

III. प्रतिषिद्ध सीमाओं के भीतर होर्डिंग और इश्तिहार के रूप में किसी भी विज्ञापन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

IV. प्रतिषिद्ध और विनियमित सीमाओं के भीतर के पत्थरों पर विज्ञापन पेंटिंग करना सख्त वर्जित है।

V. साइनेज इस तरह से लगाए जाने चाहिए कि वे किसी भी विरासत संरचना या स्मारक के दृश्य को अवरुद्ध न करें और पैदल चलने वालों की ओर उन्मुख हों।

VI. स्मारक के आसपास आवाजाही के लिए पर्यावरण-अनुकूल वाहनों के उपयोग की सिफारिश की जाती है।

7.2 अन्य सिफ़ारिशें:

I. बिहार वन विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमि के कुछ हिस्सों पर विचार किया जाना चाहिए ।

II. वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र के लिए कोई मास्टर प्लान/विकास योजना/भूमि उपयोग योजना आदि तैयार नहीं की गई है। इसलिए ऐसी योजनाएं तैयार करते समय इस उप-विधि के प्रावधानों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और दस्तावेज़ में शामिल किया जाना चाहिए।

III. स्मारक के प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों के भीतर निर्माण के नियमों से संबंधित एक नया खंड भी वर्तमान भवन उपनियमों में शामिल किया जाना चाहिए।

IV. दिव्यांगों के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार प्रावधान प्रदान किए जाएंगे।

V. व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा सकता है।

VI. क्षेत्र को प्लास्टिक एवं पॉलिथीन मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा।

VII. वर्षा जल संचयन आदि जैसी सर्वोत्तम प्रथाओं सहित हरित भवनों के निर्माण की सिफारिश की जाती है।

VIII. सांस्कृतिक विरासत स्थलों और परिक्षेत्रों के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश
https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf पर देखे जा सकते हैं।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CULTURE
NATIONAL MONUMENTS AUTHORITY

In exercise of the powers conferred by section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 read with Rule (22) of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and Other Functions of the Competent Authority) Rule, 2011, the following Heritage Bye-laws for the Centrally Protected Monument **Vapiyaka cave and Vada Thika cave, Barabar and Nagarjuni hill, Jehanabad, Bihar,** prepared by the Competent Authority, in consultation with the Department of Architecture and Planning, National Institute of Technology Patna, Bihar were published on 22.08.2023, as required by sub-rule (2) of Rule 18 of the National Monument Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, for inviting objections or suggestions from the public;

The objections/suggestions, received before the specified date have duly been considered by the National Monuments Authority in consultation with the Competent Authority.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of the Section 20E of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 the National Monument Authority, hereby makes the following bye-laws, namely:-

Heritage bye-Laws for Vapiyaka cave and Vada Thika cave, Barabar and Nagarjuni hill, Jehanabad, Bihar

CHAPTER I

PRELIMINARY

1.1 Short title, Extent and Commencements: -

(i) These bye-laws may be called the National Monument Authority Heritage bye-laws, 2024 of Centrally Protected Monument – **Vapiyaka cave and Vada Thika cave, Barabar and Nagarjuni hill, Jehanabad, Bihar**

(ii) They shall extend to the entire prohibited and regulated area of the monuments.

(iii) The provisions of these bye-laws shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other bye-laws, whether made before or after the commencement of these bye-laws, or in any instrument having effect by virtue of any bye-laws. It shall not be obligatory to carry out amendments in these bye-laws to make them consistent with any other bye-laws.

(iv) They shall come into force with effect from the date of their publication.

1.2 Definitions:

1. In these bye-laws, unless the context otherwise requires, the definitions as given in the Act or the rules made thereunder have been reproduced hereunder for the sake of convenience:-

(a) "ancient monument" means any structure, erection or monument, or any tumulus or place or interment, or any cave, rock sculpture, inscription or monolith, which is of historical, archaeological or artistic interest and which has been in existence for not less than one hundred years, and includes:-
(i) the remains of an ancient monument,
(ii) the site of an ancient monument,
(iii) such portion of land adjoining the site of an ancient monument as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving such monument, and
(iv) the means of access to, and convenient inspection of an ancient monument;

(b) "archaeological site and remains" means any area which contains or is reasonably believed to contain ruins or relics of historical or archaeological importance which have been in existence for not less than one hundred years, and includes:
(i) such portion of land adjoining the area as may be required for fencing or covering in or otherwise preserving it, and
(ii) the means of access to, and convenient inspection of the area;

(c) "Act" means the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

(d) "archaeological officer" means an officer of the Department of Archaeology of the Government of India not lower in rank than Assistant Superintendent of Archaeology;

(e) "Authority" means the National Monuments Authority constituted under Section 20 F of the Act;

(f) "competent authority" means an officer not below the rank of Director of archaeology or Commissioner of archaeology of the Central or State Government or equivalent rank, specified, by notification in the Official Gazette, as the competent authority by the Central Government to perform functions under this Act:
Provided that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify different competent authorities for the purpose of section 20C, 20D and 20E;

(g) "construction" means any erection of a structure or a building, including any addition or extension thereto either vertically or horizontally, but does not include any re-construction, repair and renovation of an existing structure or building, or, construction, maintenance and cleansing of drains and drainage works and of

public latrines, urinals and similar conveniences, or the construction and maintenance of works meant for providing supply of water for public, or, the construction or maintenance, extension, management for supply and distribution of electricity to the public or provision for similar facilities for public;

(h) "Floor Area Ratio (FAR)" means the quotient obtained by dividing the total covered area (plinth area) on all floors by the area of the plot;

FAR = Total covered area of all floors divided by plot area;

(i) "Government" means the Government of India;

(j) "maintain", with its grammatical variations and cognate expressions, includes the fencing, covering in, repairing, restoring and cleansing of a protected monument, and the doing of any act which may be necessary for the purpose of preserving a protected monument or of securing convenient access thereto;

(k) "owner" includes-

(i) a joint owner invested with powers of management on behalf of himself and other joint owners and the successor-in-title of any such owner; and

(ii) any manager or trustee exercising powers of management and the successor-in-office of any such manager or trustee;

(l) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(m) "prohibited area" means any area specified or declared to be a prohibited area under section 20A;

(n) "protected area" means any archaeological site and remains which is declared to be of national importance by or under this Act;

(o) "protected monument" means any ancient monument which is declared to be of national importance by or under this Act;

(p) "regulated area" means any area specified or declared to be a regulated area under section 20B of this Act;

(q) "re-construction" means any erection of a structure or building to its pre-existing structure, having the same horizontal and vertical limits;

(r) "repair and renovation" means alterations to a pre-existing structure or building, but shall not include construction or re-construction;

2. The words and expressions used herein and not defined shall have the same meaning as assigned in the Act or the rules made there under.

CHAPTER II

Background of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains (AMASR) Act, 1958

2.1 Background of the Act:

The Heritage Bye-Laws are intended to guide physical, social and economic interventions within 300m in all directions of the Centrally Protected Monuments. The three hundred meters area has been divided into two parts (i) the **Prohibited Area,** the area beginning at the limit of the Protected Area or the Protected Monument and extending to a distance of one hundred meters in all directions and (ii) the **Regulated Area**, the area beginning at the limit of the Prohibited Area and extending to a distance of two hundred meters in all directions.

As per the provisions of the Act, no person shall undertake any construction or mining operation in the Protected Area and Prohibited Area while permission for repair and renovation of any building or structure, which existed in the Prohibited Area before 16 June, 1992, or which had been subsequently constructed with the approval of Director General (DG), ASI and; permission for construction, re-construction, repair or renovation of any building or structure in the Regulated Area, must be sought from the Competent Authority.

2.2 Provision of the Act related to Heritage Bye-laws:

Section 20E of AMASR Act, 1958 and Rule 22 of Ancient Monument and Archaeological Sites and Remains (Framing of Heritage Bye-Laws and other functions of the Competent Authority) Rules, 2011, specifies framing of Heritage Bye-Laws for Centrally Protected Monuments. The Rule provides parameters for the preparation of Heritage Bye-Laws. Rule 18 of National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of Authority and Conduct of Business) Rules, 2011, specifies the process of approval of Heritage Bye-laws by the Authority.

2.3 Rights and Responsibilities of the Applicant:

Section 20C of AMASR Act, 1958 specifies details of application for repair and renovation in the Prohibited Area, or construction or re-construction or repair or renovation in the Regulated Area as described below:

(a) Any person, who owns any building or structure, which existed in a Prohibited Area before 16th June, 1992, or, which had been subsequently constructed with the approval of the Director General, ASI and desires to carry out any repair or renovation of such building or structure, may make an application to the Competent Authority for carrying out such repair and renovation as the case may be.

(b) Any person, who owns or possesses any building or structure or land in any Regulated Area, and desires to carry out any construction or re-construction or repair or renovation of such building or structure on such land, as the case may be,

may make an application to the Competent Authority for carrying out construction or re-construction or repair or renovation as the case may be.

(c) It is the responsibility of the applicant to submit all relevant information and abide by the National Monuments Authority (Conditions of Service of Chairman and Members of the Authority and Conduct of Business) Rules, 2011.

CHAPTER III

Location and Setting of Centrally Protected Monument - Vapiyaka cave and Vada Thika cave, Barabar and Nagarjuni hill, Jehanabad, Bihar

3.1 Location and Setting of the Monument:

The monument is located at GPS Coordinates: 25° 0'40.32"N, 85° 4'37.10"E

The monument is accessible from west, by a walkable pathway, which further connects to the Belaganj-Barabar road to the south. Jehanabad bus stand and Makhdumpur Gaya railway station are at a distance of 33.2 km and 16 km, north- west of the monument respectively. Gaya airport and Jaya Prakash Narayan International airport, Patna, is located at a distance of 42 km (south) and 81.8 km (north) of the monument, respectively.

The two caves namely Vapiya-ka-kubha and Vadathi-la-kubha of the Nagarjuni Group are situated in a low rocky ridge on the northern side of the Nagarjuni hill.[4] The hills are composed of giant black boulders piled one above the other leaving great caverns beneath; and are covered with flowering scrubs and creepers.

The monuments lies in close vicinity with other Centrally Protected Monuments namely Gopi Cave, Barabar and Nagarjuni hill, Jehanabad, Bihar. The cluster map depicting the overlapping prohibited and regulated boundaries may be seen in figure 2.

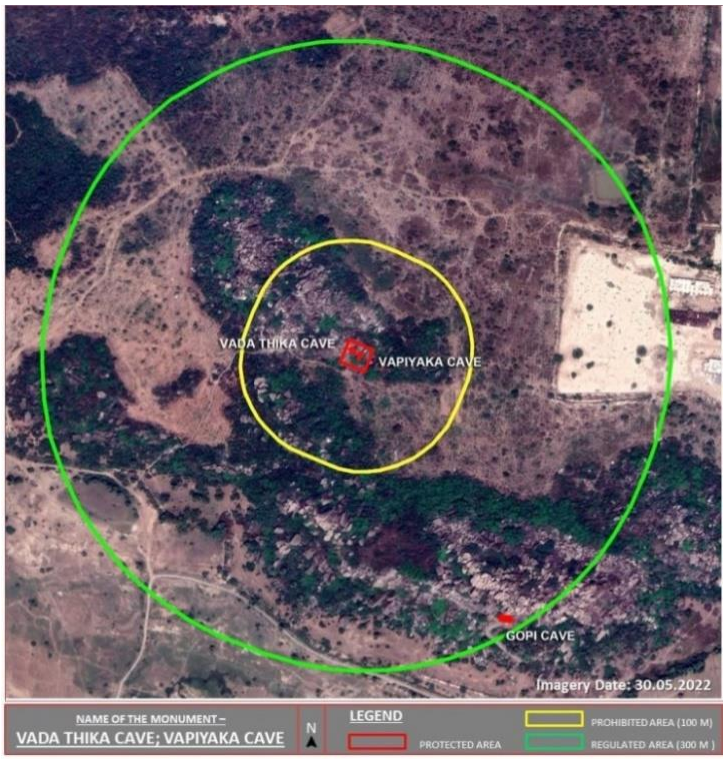

Figure 1: Google map showing the location of – Vapiyaka cave and Vada Thika cave, Barabar and Nagarjuni hill, Jehanabad, Bihar, along with the Protected, Prohibited and Regulated Area.

[4] Consultation Report of the Heritage Body NIT Patna for 'Vapiyaka cave and Vada Thika cave, Locality – Nagarjuni Hill, District – Jehanabad, Bihar'

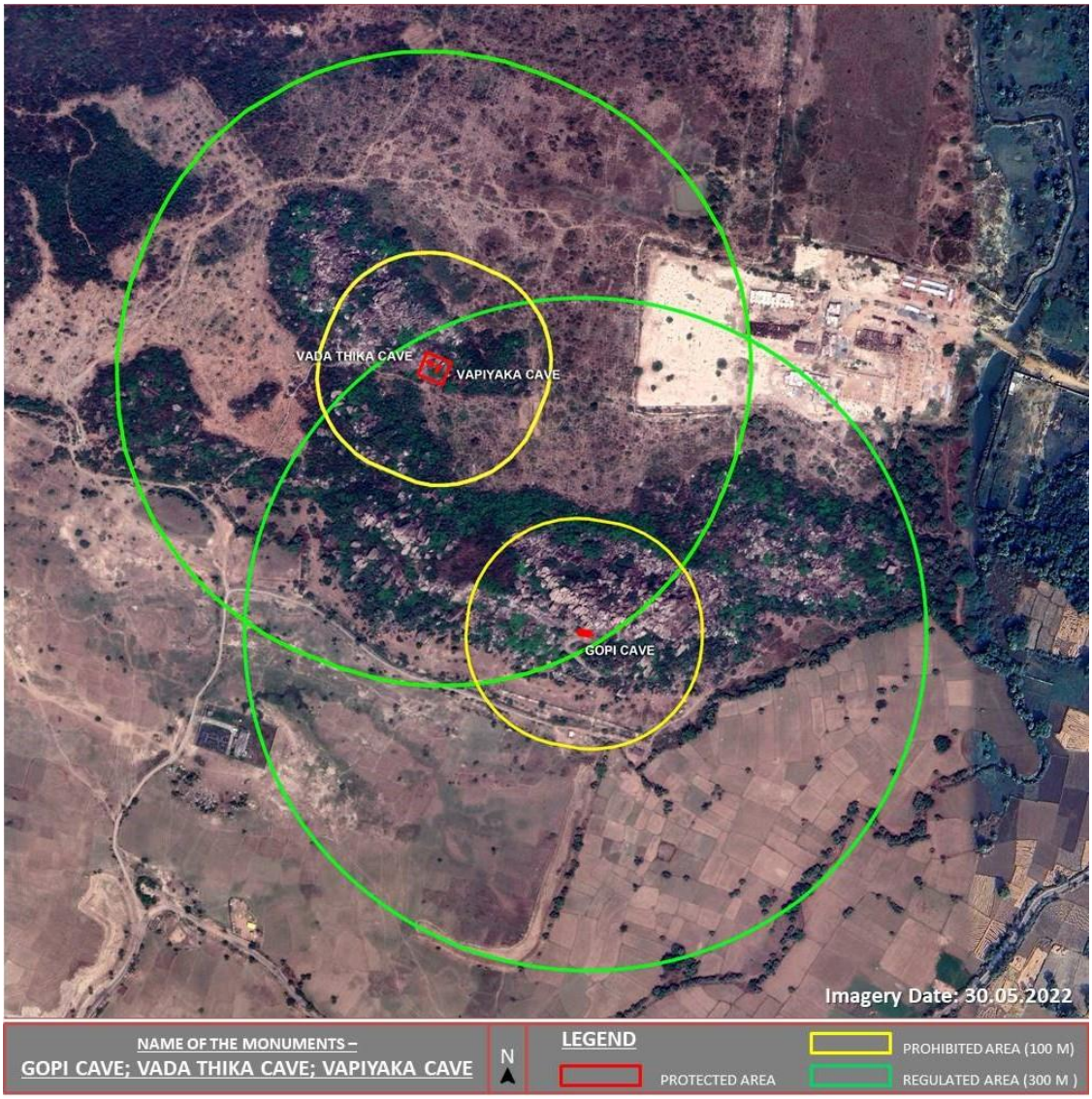

Figure 2: Google map showing the location of - Vadha Thika cave, Vapiyaka cave, and Gopi cave; Barabar and Nagarjuni hill, Jehanabad, Bihar, along with the Protected, Prohibited and Regulated Area.

3.2 Protected boundary of the Centrally Protected Monument:

The protected boundary map of Vapiyaka cave and Vada Thika Cave, Barabar and Nagarjuni Hill, Jehanabad, may be seen in **Annexure-I**.

3.2.1 Notification Map/ Plan as per ASI records:

The copy of Gazette Notification of Vapiyaka cave and Vada Thika Cave, Barabar and Nagarjuni Hill, Jehanabad, may be seen in **Annexure-II**.

3.3 History of the Monument:

The earliest of the archaeological remains in the district are to be found in the Barabar and Nagarjuni hills. In the Nagarjuni range, about 0.8 km to the north-east of the Barabar range, there are three excavated caves, containing the inscriptions of Asoka's

grandson Dasaratha (214 B.C.). There are three caves in the Nagarjuni hills, namely Gopi cave, Vada Thika cave, and Vapiyaka cave. These are the oldest survivng rock-cut caves in India, dating from the Mauryan Empire, during the reign of Ashoka and his grandson Dasaratha. During this period, caves were generally used as viharas**,** i.e. living quarters, by the Jain and Buddhist monks. The cave dwellings of Barabar and Nagarjuni hills offer the earliest examples of cave architecture of Bihar, which were indeed the translation of existing wood and thatch structure.[5]

The Nagarjuni caves were excavated in the first year of the reign of his grandson, Dasaratha, i.e. about 231 B.C. they were dedictaed to the Ajivikas noted for ascetic practices of the most rigorous kind. From inscriptions of later date, it may be noted that the caves were for ages occupied by Brahmanical ascetics. About the 3rd or 5th century A.D. the king Sardula Varman and Ananta Varman placed Brahmanical images in three of the caves, and in the 6th or 7th century the teacher Yogananda left a record of his adoratioon of the Sidheswar lingam in the Vapiyaka cave. Nagarjuni Hills derive their name from the tradition that Nagarjun, the famous Buddhist teacher, lived in one of these caves.[6]

3.4 Description of Monument (architectural features, elements, materials etc.):

The Vada Thika cave is situated in a gap or natural cleft of the rock, and is entered by a narrow passage, only 2 feet 10 inches in width. The cave measures 5.10 m. x 3.43 m with walls curved right from the floor level. In an inscription on the right-hand jamb of the doorway this cave is called Vada Thika cave, which general Cunningham suggests may mean the cave of the secluded mendicants. This meaning is appropriate to the position of the cave, for it is entiely separated from the cave to the east, is encompassed by the bluff rocks of the gap in which it is situated and is effectually screened from view.

The cave next to it, i.e. the Vapiyaka cave, has a small porch or ante-chamber, from which a narrow doorway leads to the principal room. The cave comprises of a chamber measuring 5.11 m x 3.43 m and a porch of 1.83 m x 1.68m. The roof is vaulted and all the walls are highly polished. From an inscription on the left-hand side of the porch, it could be understood that the cave was called Vapiyaka - a term which probably refers to the well (vapi) in front of it.[7]

3.5 Current Status:

3.5.1 Condition of Monument – condition assessment:

The maintenance and preservation of the Centrally Protected Monument and its protected areas is the exclusive domain of ASI. The photographs depicting the present condition of the monument is apprehended in **Annexure IV**.

[5] Bihar District Gazetteers – Gaya (1957)
[6] Bihar District Gazetteers – Gaya (1957)
[7] Bihar District Gazetteers – Gaya (1957)

3.5.2 Daily footfalls and occasional gathering numbers:

The average numbers of visitors at the site is 30 to 35 persons daily. During peak seasons, the number increases to 50 persons daily.

CHAPTER IV

Existing zoning, if any, in the local area development plans

4.1 Existing zoning:

No zoning regulations or master plan has been prepared till date, by the local authorities.

4.2 Existing Guidelines of the local bodies:

Since, no land use plan/ master plan/ zoning regulations are prepared by the local authorities, therefore, this Heritage bye-law takes precedence over the local building bye-laws. Consequently, alterations to the existing land use are prohibited. When formulating land-use plans/ master plans/ zoning regulations, etc., it is imperative to consider and incorporate the provisions outlined in this bye-law. Other provisions can be referred in Chapter VI, Section 6.13.

CHAPTER V

Information as per First Schedule, Rule 21(1)/ total station survey of the Prohibited and the Regulated Areas on the basis of boundaries defined in Archaeological Survey of India records.

5.1 Contour Plan of Vapiyaka cave and Vada Thika cave, Barabar and Nagarjuni hill, Jehanabad, Bihar:

Survey Plan of Vapiyaka cave and Vada Thika cave, Barabar and Nagarjuni hill, Jehanabad, Bihar, may be seen in **Annexure- I**.

The archival map of Vapiyaka cave and Vada Thika Cave, Barabar and Nagarjuni Hill, Jehanabad, may be seen in **Annexure-III**.

5.2 Analysis of the surveyed data:

5.2.1 Prohibited Area and Regulated Area details:

a) Total Protected Area: 606 sq.m. (approximately)
b) Total Prohibited Area: 41,260 sq.m. (approximately)
c) Total Regulated Area: 2,70,957 sq.m. (approximately)

Salient Features

a) There are large tracts of agricultural land to the south, east and west of the monument. Major portions of the land in the prohibited and regulated area of the monument, lie within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar.[8]

b) The Nagarjuni hills are composed of giant black boulders piled one above the other leaving great caverns beneath; and are covered with flowering scrubs and creepers. The hills are connected by a motorable road and the caves are accessible by the cave stairs.

5.2.2 Description of built up Area:

Prohibited Area: Giant black boulders of the Nagarjuni hill with vegetation growth are present on all sides of the prohibited area of the monument. Major portions of the land lie within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar.

Regulated Area:

a) **North:** open spaces with vegetation growth; portions of the land lie within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar.
b) **North-west:** Giant black boulders of the Nagarjuni hill; open spaces with vegetation growth; portions of the land lie within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar.

[8] Environment and Forest Department, Government of Bihar (https://gis.bih.nic.in/DEPTS/Forest.aspx)

c) **South:** Giant black boulders of the Nagarjuni hill; mud road; and open spaces with vegetation growth; portions of the land lie within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar.
d) **South-East:** Gopi Cave (Centrally Protected Monument); Giant black boulders of the Nagarjuni hill; portions of the land lie within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar.
e) **East:** large tracts of agricultural land; open spaces with vegetation growth; portions of Government Polytechnic College, Jehanabad (established in the year 2019)
f) **West:** Giant black boulders of the Nagarjuni hill; large tracts of agricultural land; kutcha road and open spaces with vegetation growth; portions of the land lie within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar.

5.2.3 Description of green/open spaces:

Prohibited Area: Giant black boulders of the Nagarjuni hill with vegetation growth are present on all sides of the prohibited area of the monument. Major portions of the land lie within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar.

Regulated Area:

a) **North:** open spaces with vegetation growth; major portions of the land lie within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar.
b) **North-west:** Giant black boulders of the Nagarjuni hill; open spaces with vegetation growth; portions of the land lie within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar.
c) **South:** Giant black boulders of the Nagarjuni hill; mud road; and open spaces with vegetation growth; portions of the land lie within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar.
d) **South-East:** Gopi Cave (Centrally Protected Monument); Giant black boulders of the Nagarjuni hill; portions of the land lie within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar.
e) **East:** large tracts of agricultural land; open spaces with vegetation growth; portions of Government Polytechnic College, Jehanabad (established in the year 2019).
f) **West:** Giant black boulders of the Nagarjuni hill; large tracts of agricultural land; kutcha road and open spaces with vegetation growth; portions of the land lie within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar.

5.2.4 Area covered under circulation – roads, footpaths, etc.:

The monument is accessible from west, via a walkable hilly road, which is accessible by a motorable road, which further connects to the Belaganj-Barabar Marg to the south.

5.2.5 Heights of buildings (Zone wise):

a) North, South and West: No construction is present.

b) East: The maximum height is 12 m.

No construction activity can be seen within the prohibited and regulated area of the monument, since major portions of the land in the prohibited and regulated area of the monument, lie within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar. However, upcoming construction of a Government Polytechnic College, Jehanabad (established in the year 2019), can be seen in the regulated area, towards the east of the monument.

5.2.6 State protected monuments and listed Heritage Buildings by local Authorities, if available, within the Prohibited/ Regulated Area:

Gopi cave (CPM) is present in the regulated area (south-east) of the monument. No other state protected monuments and listed heritage buildings by local authorities are present within the prohibited and regulated area of the monument.

5.2.7 Public amenities:

No public amenities are present inside the protected area of the monument for visitors.

5.2.8 Access to monument:

The monument is accessible from west, via a walkable hilly road, which is accessible by a motorable road, which further connects to the Belaganj-Barabar Marg to the south. The primary mode of transportation is by motorcycles, scooters, bicycles, cars, auto-rickshaws, etc.

5.2.9 Infrastructure services (water supply, storm water drainage, sewage, solid waste management, parking etc.):

No infrastructure services are present inside the Protected Area of the monument for visitors.

5.2.10 Proposed zoning of the area as per guidelines of Local Bodies:

No development plan/ master plan are available with the local authorities, hence no zoning can be identified for the given area.

CHAPTER VI

Architectural, historical and archaeological value of the monument

6.1 Architectural, historical and archaeological value of the monument:

The earliest of the archaeological remains in the district are to be found in the Barabar and Nagarjuni hills. In the Nagarjuni range, about 0.8 km to the north-east of the Barabar range, there are three excavated caves, containing the inscriptions of Asoka's grandson Dasaratha (c. 214 B.C.). There are three caves in the Nagarjuni hills, namely Gopi cave, Vada Thika cave, and Vapiyaka cave. These are the oldest survivng rock-cut caves in India, dating from the Mauryan Empire, during the reign of Ashoka and his grandson Dasaratha. During this period, caves were generally used as **viharas,** i.e. living quarters, by the Jain and Buddhist monks. The cave dwellings of Barabar and Nagarjuni hills offer the earliest examples of cave architecture of Bihar, which were indeed the translation of existing wood and thatch structure.

The Nagarjuni caves were excavated in the first year of the reign of his grandson, Dasaratha, i.e. about 231 B.C. they were dedictaed to the Ajivikas noted for ascetic practices of the most rigorous kind. From inscriptions of later date, it may be noted that the caves were for ages occupied by Brahmanical ascetics. About the 3rd or 5th century A.D. the king Sardula Varman and Ananta Varman placed Brahmanical images in three of the caves, and in the 6th or 7th century the teacher Yogananda left a record of his adoratioon of the Sidheswar lingam in the Vapiyaka cave. Nagarjuni Hills derive their name from the tradition that Nagarjun, the famous Buddhist teacher, lived in one of these caves.[9]

Architectural value:

The Vada Thika cave is situated in a gap or natural cleft of the rock, and is entered by a narrow passage, only 2 feet 10 inches in width. The cave measures 5.10 m. x 3.43 m with walls curved right from the floor level. In an inscription on the right-hand jamb of the doorway this cave is called Vada Thika cave, which general Cunningham suggests may mean the cave of the secluded mendicants. This meaning is appropriate to the position of the cave, for it is entirely separated from the cave to the east, is encompassed by the bluff rocks of the gap in which it is situated and is effectually screened from view.

The cave next to it, i.e. the Vapiyaka cave, has a small porch or ante-chamber, from which a narrow doorway leads to the principal room. The cave comprises of a chamber measuring 5.11 m x 3.43 m and a porch of 1.83 m x 1.68m. The roof is vaulted and all the walls are highly polished. From an inscription on the left-hand side of the porch, it could be understood that the cave was called Vapiyaka - a term which probably refers to the well (vapi) in front of it.

[9] Bihar District Gazetteers – Gaya (1957)

6.2 Sensitivity of the monument (e.g. developmental pressure, urbanization, population pressure, etc.):

No development/ construction activity can be seen within the prohibited and regulated area of the monument, since major portions of the land in the prohibited and regulated area of the monument, lie within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar. However, upcoming construction of a Government Polytechnic College, Jehanabad (established in the year 2019), can be seen in the regulated area (towards east) of the monument, which can initiate further construction of ancillary activities within the regulated area of the monument.

However, the site has been affected by natural disasters, particularly Earthquakes in the year 1934. The violent nature of tremors caused major cracks which run across the entire length of the caves in the Barabar group.[10]

6.3 Visibility from the protected monument/ area and visibility from the regulated area:

Visibility from all directions of prohibited and regulated area to the monument:

Giant black boulders of the Nagarjuni hills piled one above the other, along with vegetation growth can be seen. The monument is not directly visible due to the nature of its location.

Visibility from the monument: Giant black boulders of the Nagarjuni hills, piled one above the other can be seen from the monument.

6.4 Land use to be identified:

The nearby land is mainly used as agricultural land, however parts of and also large tracts of land are occupied by the Nagarjuni hills. The place is mostly used as a protected heritage zone open to visitors. The predominant land use around the monument is barren/rocky devoid of vegetation and belongs to the forest department.

6.5 Archaeological heritage remains other than protected monument:

a) There are four caves (Centrally protected) in the Barabar Hills namely Sudama, Visvakarma, Karan Chaupar and Lomas Rishi.
b) There is Gopi cave (Centrally protected) towards the south-east of the monument in the regulated area.

6.6 Cultural landscapes:

The Barabar and Nagarjuni Hills located in the Jehanabad district of Bihar contain the earliest examples of rock-cut architecture in India belonging to the 3rd century BCE and thus forming the components of Cultural Landscape of the monument.

[10] Consultation Report of the Heritage Body NIT Patna for 'Vapiyaka cave and Vada Thika cave, Locality – Nagarjuni Hill, District – Jehanabad, Bihar'

6.7 Significant natural landscapes that forms part of cultural landscape and also helps in protecting the monument from environmental pollution:

The monument is located on the Nagarjuni hills. The hill comprises of giant black boulders piled one above the other. The monument is free from all kinds of pollution because of the natural landscape surrounding the monument.

6.8 Usage of open space and constructions:

No development or construction activities can be seen near the Protected Area due to it being a hilly terrain. Few recreational activities can be seen in the north-west of the monument in the Regulated Area.

6.9 Traditional, historical and cultural activities:

No such traditional, historical and cultural activities are associated with the monument in the present day. However, the cave and its surroundings around the prohibited area are all natural and rock cut architecture.

6.10 Skyline as visible from the monument and from regulated areas:

Clear sky, and the large valley enclosed by the Nagarjuni hills can be seen from the monument.

6.11 Traditional architecture:

No traditional architecture is in prevalent around the monument, however, the caves all together form a part of rock cut architecture.

6.12 Development plan as available by the local authorities:

No zoning regulations or master plan/ development plan has been prepared till date, by the local authorities.

6.13 Proposed Building related parameters:

The monument Vapiyaka Cave and Vada Thika Cave is located in close vicinity with other Centrally Protected namely Gopi Cave, Barabar and Nagarjuni hill, Jehanabad. The Prohibited and Regulated boundaries overlap with the buffer zones of the monument. The bye-laws should be read in conjunction with one another. While calculating distance of a plot from either of the monuments, the above should be considered

<u>Prohibited Area:</u>

As per AMASR Act, no new construction shall be permissible within the 100 m radius from the notified protected boundary of the Centrally Protected Monument. Since there is no construction at present in the prohibited area, therefore, rules for repair, renovation and reconstruction does not apply to this area.

Portions of the land in the prohibited area of the monument, lying within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar, should be taken into consideration.

Regulated Areas:

(a) Permissible height of the construction on the site (including rooftop structures like mumty, parapet, etc):

Portions of the land in the regulated area of the monument, lying within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar, should be taken into consideration.

In the regulated area towards the south of the monument, only constructions that fall under specified exemptions are permissible on the existing land use. These exemptions include constructions like dwelling units for farmers, storage facilities, processing units, and spaces for the sale of farm products, Farm House for agro-based activities, etc. Construction of basement will not be permitted. It is crucial to note that any exempted constructions within the regulated area must adhere to a height restriction, with the total height not exceeding **5 meters** (all inclusive).

Construction by the Archaeological Survey of India for public conveniences or infrastructural facilities should be allowed, with the maximum permissible height for such buildings up to **5m** (all inclusive).

(b) Usage:

Since, no landuse plan/ master plan/ zoning regulations are prepared by the local authorities, therefore, this Heritage bye-law takes precedence over the local building bye-laws. Consequently, alterations to the existing land use are prohibited. When formulating land-use plans/ master plans/ zoning regulations, etc., it is imperative to consider and incorporate the provisions outlined in this bye-law.

(c) Façade design:-

(i) Vernacular architecture using local building materials to be used in exempted constructions.

(ii) Minimalistic design, no intrusive materials like cladding or use of paneling on the exterior façade will be permitted.

(iii) Use of coloured glazing will not be permitted.

(d) Roof design:-

(i) Only flat/ pitched roof design in the area is to be followed.

(ii) Structures, using temporary materials such as aluminium, fibre glass, polycarbonate or similar materials will not be permitted on the roof of the building.

(iii) All services such as large air conditioning units, water tanks or large generator sets placed on the roof to be screened off using screen walls (brick/cements sheets etc). All of these services must be included in the maximum permissible height.

(e) Building material: -

(i) Modern materials such as aluminum cladding, glass bricks, and any other synthetic tiles or materials will not be permitted for exterior finishes.

(ii) Traditional materials such as brick and stone should be used.

(f) Colour

The exterior colour must be of a neutral tone in harmony with the monument, and the surrounding area.

6.14 Visitor facilities and amenities:

Visitor facilities and amenities such as illumination, toilets, interpretation centre, cafeteria, drinking water, souvenir shop, ramp, CCTV, and braille should be available at site.

CHAPTER VII

Site Specific Recommendations

7.1 Site Specific Recommendations:

I. All signs within the historic precinct should be compatible and harmonious with the special character of the monument and its surroundings.

II. The installation of signages should not damage the historic fabric, nor diminish the historic character of the monument.

III. No advertisements in the form of hoardings, and bills within prohibited boundaries will be permitted.

IV. Painting advertisements on stone boulders within the prohibited and regulated boundaries is strictly prohibited.

V. Signages should be placed in such a way that they do not block the view of any heritage structure or monument and are oriented towards a pedestrian.

VI. Use of Eco-friendly vehicles for movement in the vicinity of the monument is recommended.

7.2 Other Recommendations:

I. Portions of land lying within the jurisdiction of the Forest Department of Bihar, should be taken into consideration.

II. At present there is no master plan/ development plan/ landuse plan, etc for the area prepared by the authority. Hence, while preparing such plans, provisions of this bye-law should be taken into consideration and incorporated in the document.

III. A new section related to rules of construction within the prohibited and regulated areas of the monument should also be incorporated in the existing building bye-laws.

IV. Provisions for differently able persons to be provided as per prescribed standards.

V. Extensive public awareness programme may be conducted.

VI. The area shall be declared as Plastic and Polythene free zone.

VII. Construction of green buildings including best practices like rain water harvesting etc. is recommended.

VIII. National Disaster Management Guidelines for Cultural Heritage Sites and Precincts may be referred at https://ndma.gov.in/images/guidelines/Guidelines-Cultural-Heritage.pdf

अनुलग्नक
ANNEXURES

अनुलग्नक-I
Annexure-I

वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद के केंद्रीय संरक्षित, प्रतिषिद्ध और विनियमित क्षेत्रों की संरक्षित सीमा

The Protected Boundary of Centrally Protected, Prohibited and Regulated Areas of Vapiyaka cave and Vada Thika Cave, Barabar and Nagarjuni Hill, Jehanabad

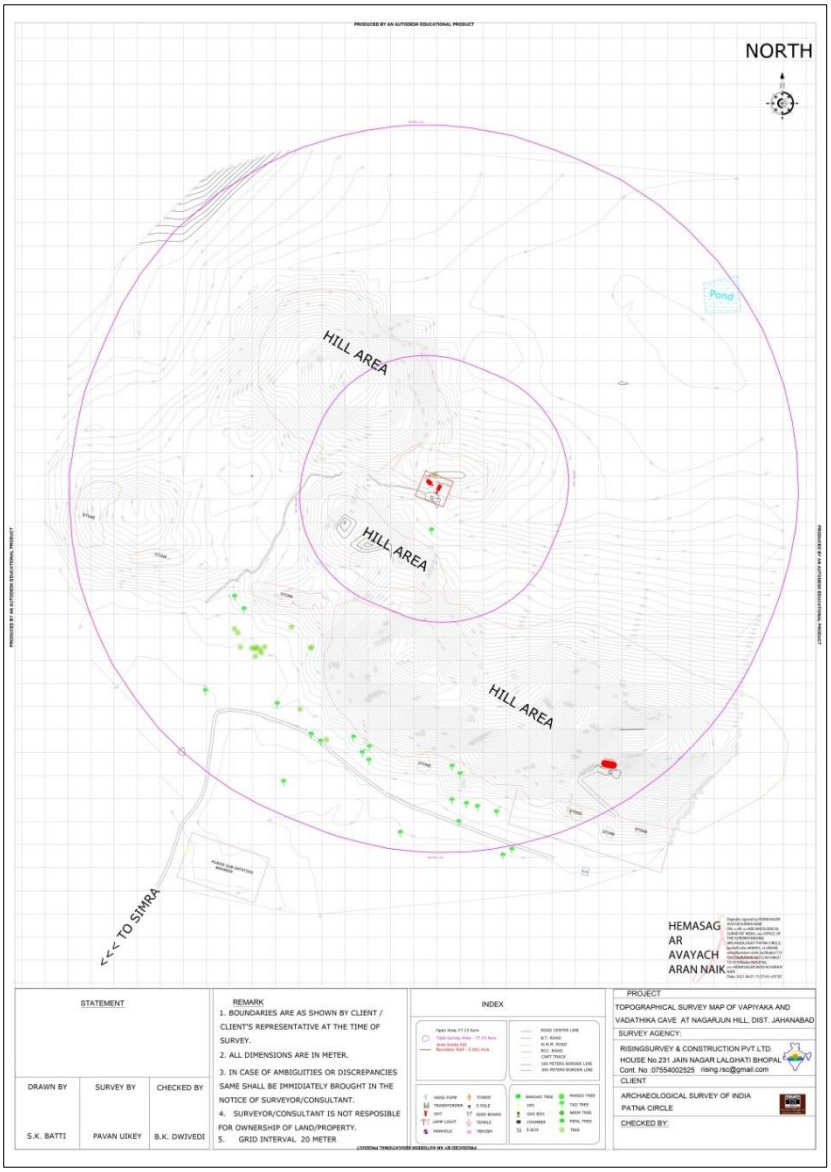

Note: The latest construction of Government Polytechnic College, Jehanabad (established in the year 2019), towards the east of the monument in the regulated area is not reflective in the Survey plan prepared by ASI Patna Circle, since it was prepared before 2019.

अनुलग्नक–II
ANNEXURE-II

वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार की अधिसूचना

Notification of the Vapiyaka Cave and Vada Thika Cave, Barabar and Nagarjuni Hill, Jehanabad, Bihar

EDUCATION AND MUNICIPAL DEPARTMENTS.

The 27th July 1921.

No. 2793-E.—In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act (Act VII of 1904), the Governor of Bihar and Orissa in Council is pleased to confirm Notification No. 433-E., dated the 11th April 1921, which was issued under sub-section (1) of that section and published at page 295 of Part II of the *Bihar and Orissa Gazette* of the 4th May 1921, declaring the monuments noted below to be a protected monument within the meaning of that Act:—

No.	Name of locality.	Name of monuments.
1	2	3
1	Barabar and Nagarjuni hill, district of Gaya ...	Karan Chaupar cave.
2	Ditto ditto ...	Sudama cave.
3	Ditto ditto ...	Lomas Rishi cave.
4	Ditto ditto ...	Visva Jhopa cave.
5	Ditto ditto ...	Gopi cave.
6	Ditto ditto ...	Vapiyaka cave.
7	Ditto ditto ...	Vada Thika cave.

Typed copy of Original Notification

EDUCATIONAL AND MUNICIPAL DEPARTMENTS.

The 27th July, 1921.

No. 2793-E. — In exercise of the power conferred by sub-section (3) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act (Act VII of 1904), the Governor of Bihar and Orissa in Council is pleased to confirm Notification No. 1433-E., dated the 11th April 1921, which was issued under sub-section (1) of that section and published at page 298 of Part II of the Bihar and Orissa Gazette of the 4th May 1921, declaring the monuments noted below to be a protected monument within the meaning of that Act:-

Sl. No.	Name of locality	Name of monuments
1	2	3
1	Barabar and Nagarjuni hill, district of Gaya	Karan Cheupar cave
2	Ditto..	Sudama cave
3	Ditto..	Lomas Rishi cave
4	Ditto..	VisvaJhopa cave
5	Ditto..	Gopi cave
6	Ditto..	Vapiyaka cave
7	Ditto..	Vada Thika cave

अनुलग्नक– III
ANNEXURE- III

वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार का अभिलेखीय मानचित्र

Archival Map of Vapiyaka Cave and Vada Thika Cave, Barabar and Nagarjuni Hill, Jehanabad, Bihar

.

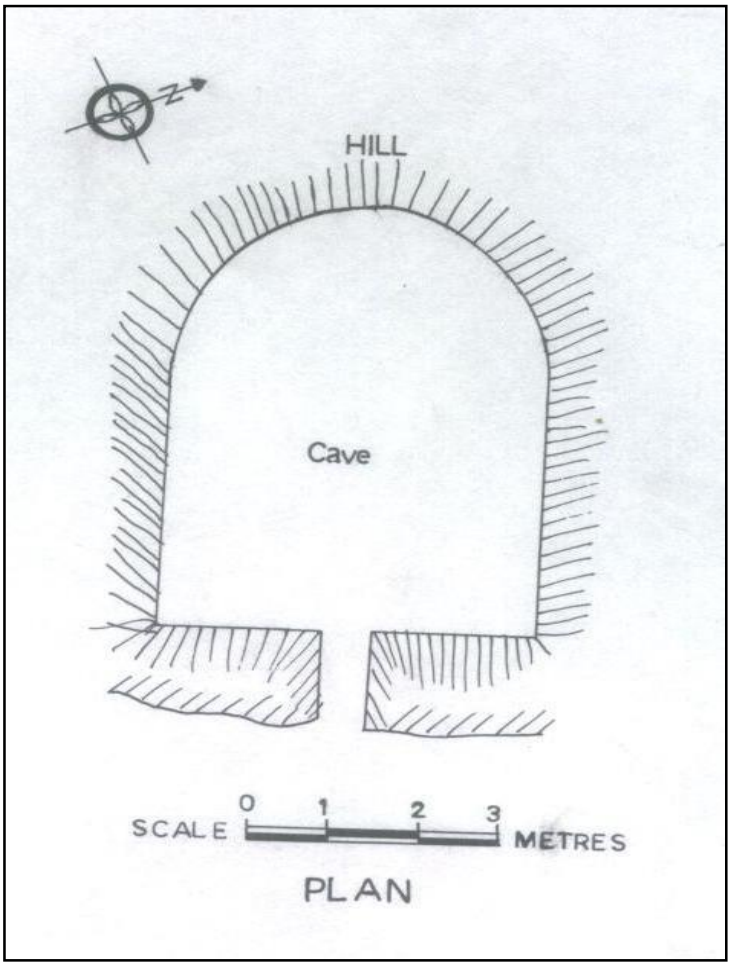

चित्र 1: वाडा थिका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार की योजना
(स्रोत: पटना सर्किल, एएसआई)

Figure 1: Plan of – Vada Thika cave; Barabar and Nagarjuni hill, Jehanabad, Bihar (source Patna Circle, ASI).

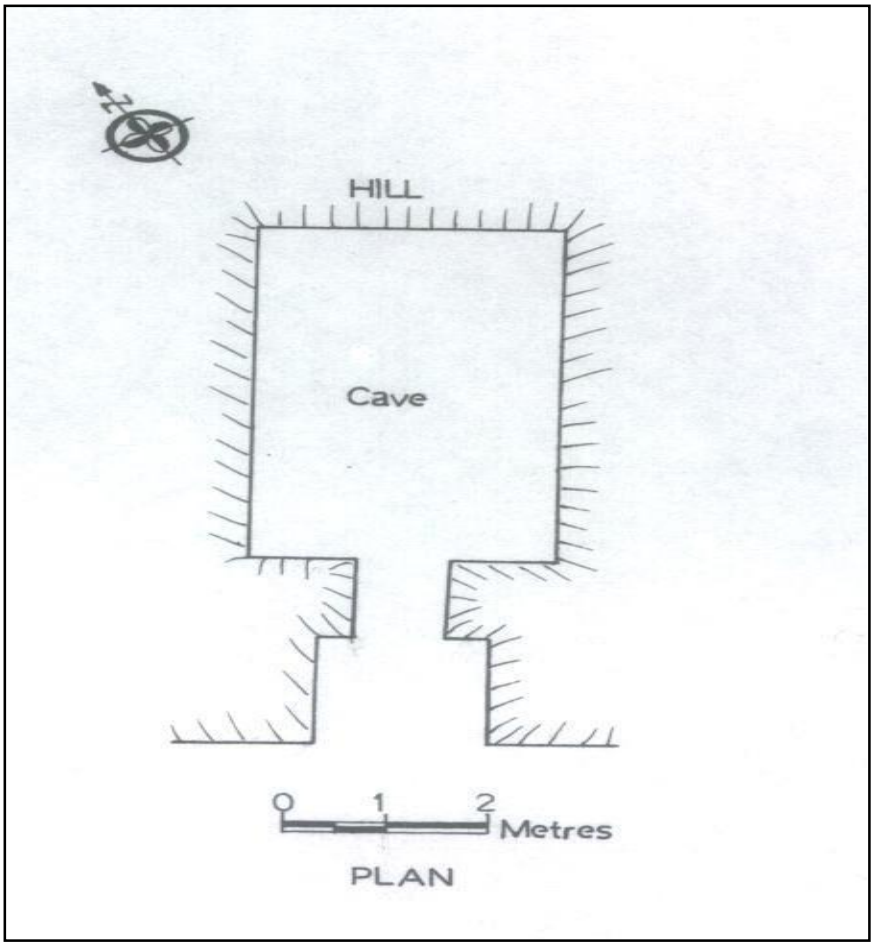

चित्र 2: वापियाका गुफा, बराबर और नागार्जुनी पहाड़ी, जहानाबाद, बिहार की योजना (स्रोत: पटना सर्किल, एएसआई)

Figure 2: Plan of – Vapiyaka cave; Barabar and Nagarjuni hill, Jehanabad, Bihar. (source Patna Circle, ASI).

अनुलग्नक – IV
ANNEXURE – IV

स्मारक और उसके आस-पास के चित्र
Pictures of the Monument and its Surrounding

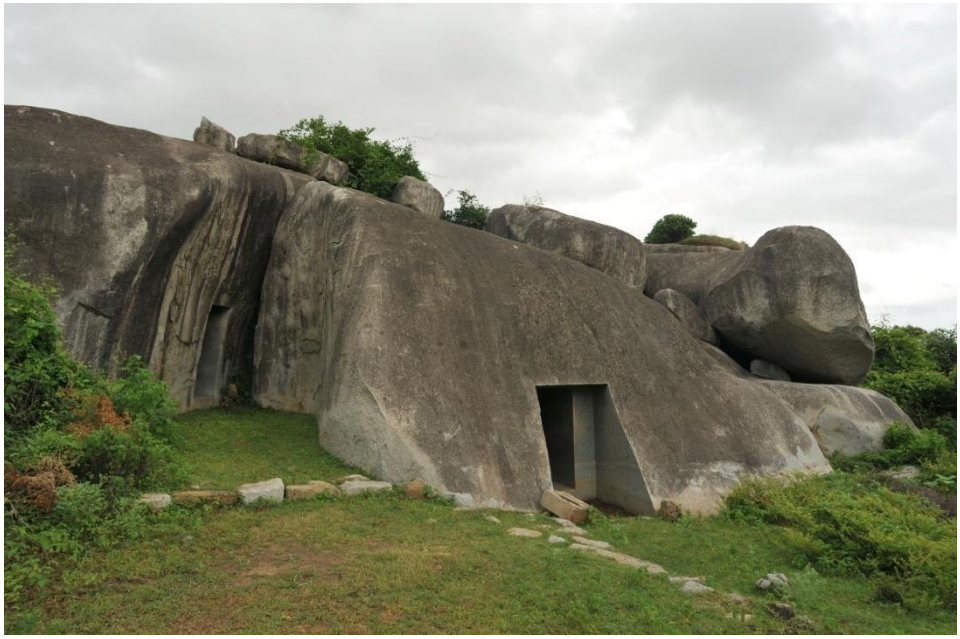

प्लेट 1: वापियाका गुफा और वाडा थिका गुफा का दृश्य
Plate 1: View of Vapiyaka cave and Vada Thika cave

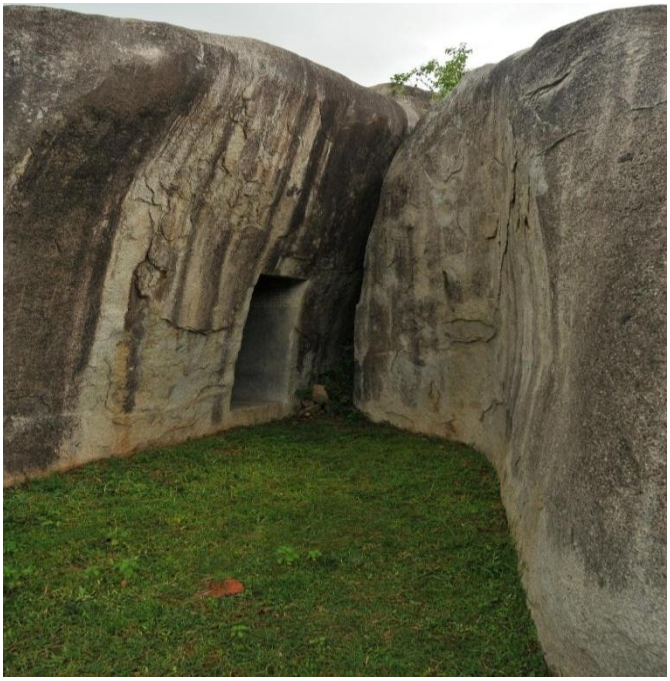

प्लेट 2: वाडा थिका गुफा का दृश्य
Plate 2: View of Vada Thika cave

प्लेट 3: स्मारक के आसपास का दृश्य (उत्तर)
Plate 3: View of the surroundings of the monument (North)

प्लेट 4: स्मारक के आसपास का दृश्य (पश्चिम)
Plate 4: View of the surroundings of the monument (West)